सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2023-24

भारत सरकार / Government of India

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय / Ministry of Minority Affairs

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

वेबसाइट : https://minorityaffairs.gov.in

विषय–सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
#	कार्यकारी सारांश	1
1	परिचय	3
2	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)	7
3	शैक्षिक सशक्तीकरण पहल	12
4	कौशल एवं आजीविका पहल	15
5	विशेष पहलः जियो पारसी योजना	19
6	हज प्रबंधन	20
7	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)	24
8	भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त	25
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)	26
10	वक्फ प्रशासन, केंद्रीय वक्फ परिषद	30
11	दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर	34
12	राजभाषा	37
13	स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान, स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	41
अनुबंध		
1.	अनुबंध I	44
2.	अनुबंध II	45
3.	अनुबंध III	46
4.	अनुबंध IV	48
4.	अनुबंध V	49
6.	अनुबंध VI	51
7.	अनुबंध VII	53

कार्यकारी सारांश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना जनवरी 2006 में की गई थी और इसे 6 (छह) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिखों के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, जो भारत की आबादी का लगभग 20% हिस्सा हैं। जनगणना में "अल्पसंख्यक" शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। यद्यपि भारतीयों द्वारा यथासूचित सभी धर्मों के डेटा को प्रत्येक जनगणना में एकत्र किया जाता है। पिछली जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और मुस्लिम की जनसंख्या नीचे दी गई है:

मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी
17,22,45,158 (14.2%)	2,78,19,588 (2.3%)	2,08,33,116 (1.7%)	84,42,972 (0.7%)	44,51,753 (0.4%)	57,264 (0.005%)

मंत्रालय की कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

I. मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें शैक्षिक सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति और अल्पसंख्यक संस्थानों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

II. मंत्रालय की कल्याण और विकास योजनाएं अल्पसंख्यकों के गरीब और वंचित वर्गों पर केंद्रित हैं। अधिकांश योजनाओं में आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पात्रता मानदंड तैयार किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचे।

III. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)**, मंत्रालय की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो पहचाने गए क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास क्षेत्रों और महिला–केंद्रित परियोजनाओं में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए प्रावधान करती है।

इस योजना के तहत नई और चल रही परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 187.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पीएमजेवीके योजना का दायरा और भी विस्तृत हो गया है, जिसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए उनकी विशिष्ट संस्कृति और पहचान के संरक्षण हेतु अपेक्षित बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई है।

बौद्ध विकास योजना (बीडीपी) बौद्ध आबादी की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करती है और उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाती है। इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।

पारसियों की सांस्कृतिक विरासत और भाषा के संरक्षण में सहायता के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मुंबई विश्वविद्यालय में **'अवेस्ता पहलवी अध्ययन केंद्र'** के लिए 11.17 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

सिख समुदाय के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली विश्वविद्यालय के **खालसा कॉलेज में गुरुमुखी लिपि केंद्र** की स्थापना करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है, ताकि समुदाय के सांस्कृतिक संतुलन के सार को संरक्षित करने में भाषा के अभिन्न महत्व पर बल दिया जा सके।

IV. मंत्रालय ने **प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)** नामक एक नई, एकीकृत योजना तैयार की है, जो मंत्रालय की मौजूदा पांच योजनाओं – सीखो और कमाओ, विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद), हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को मिलाकर बनाई गई एक अंब्रेला योजना है। वर्ष 2023–24 के लिए इस योजना के तहत कुल व्यय 209.42 करोड़ रुपये था।

V. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के वित्तीय बोझ को कम करना है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को सुसंगत बनाने के समग्र अभ्यास के हिस्से के रूप में, इन योजनाओं को 15वें वित्त आयोग चक्र की शेष अवधि के लिए एक व्यापक योजना अर्थात् **प्रधानमंत्री शैक्षिक सशक्तीकरण योजना (PMEES)** के दायरे में लाया जाएगा। वर्ष 2023–24 के लिए इस योजना के तहत कुल व्यय 333.60 करोड़ रुपये था।

VI. **जियो पारसी** भारत में पारसी आबादी में हो रही गिरावट को रोकने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तीन घटक हैं, चिकित्सा सहायता, समर्थन और समुदाय का स्वास्थ्य। शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना ने 31.03.2024 तक 400 से ज़्यादा पारसी बच्चों को जन्म लेने में सक्षम बनाया है।

VII. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)** को 30.09.1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत 'लाभ के लिए नहीं' कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। एनएमडीएफसी अधिसूचित अल्पसंख्यकों के बीच 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार और आय सृजन गतिविधियों के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्यान्वित रियायती ऋण जैसे कि सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, सूक्ष्म वित्त और विरासत प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएमडीएफसी ने 1.84 लाख से अधिक लाभार्थियों को 765.45 करोड़ रुपये की ऋण राशि प्रदान की है।

VIII. मंत्रालय **हज यात्रा** के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है। हज आवेदन प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन कर दिया गया है। हज 2024 के लिए, सऊदी अरब ने भारत को 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा आवंटित किया है।

अध्याय–1
परिचय

अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् जैन, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम से संबंधित मुद्दों के प्रति अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की दृष्टि से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को दिनांक 29.01.2006 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग किया गया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए विनियामक और विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति और योजना, समन्वय, मूल्यांकन और समीक्षा शामिल है।

1.1. दृष्टि और लक्ष्य

इस मंत्रालय का दृष्टिकोण अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना और हमारे राष्ट्र के बहु–जातीय, सांस्कृतिक, बहु–भाषी और बहु–धार्मिक स्वरूप को मजबूत करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। मंत्रालय का लक्ष्य सकारात्मक कार्रवाई और समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और उनका उत्थान सुनिश्चित करना है ताकि प्रत्येक नागरिक को एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का समान अवसर मिले, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में समान हिस्सेदारी की सुविधा मिल सके।

1.2. मंत्रालय के बारे में

श्री किरेन रिजिजू अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माननीय कैबिनेट मंत्री हैं और श्री जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री हैं। मंत्रालय के सचिव को अपर सचिव, संयुक्त सचिवों, वित्तीय सलाहकार और उप महानिदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय में 127 अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है और 31.03.2024 को 98 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। मंत्रालय का पदधारिता विवरण अनुबंध I और संगठन चार्ट अनुबंध II में दिया गया है। मंत्रालय उसे सौंपे गए अधिकांश बहुआयामी कार्यों को स्वयं ही करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों/संगठनों द्वारा भी सहयोग प्राप्त होता है।

1.3. व्यवसाय का आवंटन

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची और उसके संशोधनों के अनुसार इस मंत्रालय को आवंटित किए गए विषय इस प्रकार हैं:–

i. अल्पसंख्यक समुदायों के विनियामक और विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना, समन्वय, मूल्यांकन और समीक्षा तैयार करना;

ii. कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले;

iii. केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीतिगत पहल;

iv. भाषाई अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के कार्यालय से संबंधित मामले;

v. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले;

vi. शरणार्थी संपत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31) (निरस्त होने के बाद से) के तहत शरणार्थी वक्फ संपत्तियों से संबंधित कार्य;

vii. एंग्लो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व;

viii. विदेश मंत्रालय के परामर्श से, 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के संदर्भ में पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण;

ix. विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न;

x. विभाग में निपटाए गए विषयों से संबंधित परोपकार और धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और धार्मिक स्थायी विधियां;

xi. मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों की सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले;

xii. वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केंद्रीय वक्फ परिषद;

xiii. दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 (1955 का 36);

xiv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्तपोषण;

xv. अल्पसंख्यकों के लिए केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर;

xvi. अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा से संबंधित उपाय करना;

xvii. धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग;

xviii. न्यायमूर्ति सच्चर समिति से संबंधित सभी मामले;

xix. अल्पसंख्यकों के लिए प्रधान मंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम;

xx. हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) और उसके तहत बनाए गए नियमों के संचालन सहित हज यात्रा का प्रबंधन और

xxi. अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय।

1.4. मंत्रालय के तत्वावधान में संबद्ध संगठन

i. संवैधानिक और वैधानिक निकाय

- केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)
- भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त (CLM)
- भारतीय हज समिति (HCoI)

ii. पीएसयू और संयुक्त उद्यम

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)

iii. मंत्रालय के तत्वावधान में संगठन

- दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर
- राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (NAWADCO)

1.5. सतर्कता इकाई

एक अपर सचिव/संयुक्त सचिव मंत्रालय के लिए अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के रूप में और मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) मंत्रालय में अपर सचिव/संयुक्त सचिव के रूप में अपने सामान्य कर्तव्य के अलावा सतर्कता कार्य भी देखते हैं।

मुख्य सतर्कता अधिकारी को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

i. मंत्रालय से संबंधित सभी सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले;

ii. प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा उन पर उचित कार्रवाई करना;

iii. पूछताछ/जांच/निरीक्षण और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;

iv. केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करना;

v. आवश्यकतानुसार सीवीसी से सलाह प्राप्त करना;

vi. भ्रष्टाचार से ग्रस्त संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा ऐसे पदों पर कार्यरत अधिकारियों का समय–समय पर स्थानांतरण करना, जिससे निवारक सतर्कता को बढ़ावा मिले; तथा

vii. सरकार के कामकाज में ईमानदारी, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 80 अधिकारियों को सतर्कता मंजूरी जारी की गई है।

1.6. राजभाषा का प्रयोग

i. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का एक समूह मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी कर रहा है;

ii. वर्ष के दौरान सभी अपेक्षित दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए तथा हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। इसके अतिरिक्त, स्थायी समिति के दस्तावेजों, आधिकारिक पत्रों, आरटीआई पत्रों तथा विभिन्न समिति रिपोर्टों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया;

iii. मंत्रालय की सभी कल्याणकारी योजनाओं के दिशा–निर्देश हिंदी में भी उपलब्ध कराए गए हैं। राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के अनुपालन के लिए विभिन्न जांच बिंदु बनाए गए हैं; तथा

iv. 14–30 सितंबर, 2023 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए हिंदी में निबंध, हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूपण, हिंदी टंकण, स्वरचित हिंदी कविता पाठ, राजभाषा का व्यावहारिक ज्ञान, हिंदी में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के साथ–साथ चित्र पर आधारित कहानी लेखन एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

1.7. नागरिक चार्टर एवं शिकायत निवारण

i. मंत्रालय का नागरिक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है;

ii. CPGRAMS पोर्टल का वेब–लिंक अर्थात www.pgportal.gov.in मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है; तथा

iii. मंत्रालय का प्रयास शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करना रहा है।

1.8. सूचना का अधिकार अधिनियम

i. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना के प्रसार को सुगम बनाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में एक आरटीआई सेल है। आरटीआई सेल आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है। आरटीआई सेल केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में तिमाही रिटर्न भी प्रस्तुत करता है;

ii. जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्य आवंटन के आधार पर सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की सूची नियमित रूप से अद्यतन की जाती है; तथा

iii. वर्ष 2023–24 के दौरान 31 मार्च, 2024 तक मंत्रालय में 2515 आरटीआई आवेदन और 143 अपीलें प्राप्त हुईं।

1.9 बजट

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 2023–24 के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए संशोधित बजट आवंटन 2608.93 करोड़ रुपये है। बजट अनुमान, संशोधित अनुमान 2023–24 और 31.03.2024 तक वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण अनुबंध III में है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना–वार बजट आवंटन अनुबंध IV में है।

अध्याय–2
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

2.1 यह कार्यक्रम 2008–09 में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) के रूप में शुरू किया गया जोकि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2017–18 में प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में पुनर्गठित किया गया था, पीएमजेवीके एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसके तहत देश भर में अभिज्ञात क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अभिज्ञात क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इस तरह राष्ट्रीय औसत की तुलना में असंतुलन को कम करना है। वर्ष 2022 में, इस योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र यानी वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान जारी रखने के लिए कैबिनेट द्वारा संशोधित और अनुमोदित किया गया है।

2.2 पीएमजेवीके के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला केंद्रित परियोजनाएं प्रमुख क्षेत्र हैं। खेल, पेयजल और स्वच्छता, सौर ऊर्जा आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के उभरते क्षेत्रों पर भी इस योजना के अंतर्गत विचार किया जाता है। पीएमजेवीके के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में स्कूलों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षाएं, छात्रावास, कंप्यूटर लैब/डिजिटल कक्षाएं, स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्कूलों, कॉलेजों, डिस्पेंसरियों, अस्पतालों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI), पॉलिटेक्निक, कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों में पेयजल सुविधाएं और शौचालय, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, खेल सुविधाएं, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय आदि शामिल हैं।

2.3 इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्तिगत लाभार्थी–उन्मुख परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। स्वीकृत परियोजनाएँ सभी सामुदायिक परिसंपत्तियाँ हैं, विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में और कैचमेंट क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के उपयोग के लिए सुलभ हैं।

2.4 कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 80% संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए आवंटित किए जाते हैं। महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए कम से कम 33–40% संसाधन आवंटित करने का प्रयास किया जाता है।

2.5 यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (UTA) के तत्वावधान में निधि साझाकरण पैटर्न पर कार्यान्वित की जा रही है।

2.6 पीएमजेवीके के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्र सरकार के संगठनों (CGO) द्वारा उस जिले में प्रस्तावित की जा सकती हैं, जहां अल्पसंख्यक आबादी का घनत्व कैचमेंट क्षेत्र (15 किलोमीटर की परिधि) में 25% से अधिक है। परियोजना के स्थान की पहचान की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया गया है और राज्य स्तरीय समिति/केंद्र सरकार संगठन यह प्रमाणित करता है कि परियोजना ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां अल्पसंख्यक आबादी 25% से अधिक है।

2.7 पीएमजेवीके के तहत प्रस्ताव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मांग के अनुसार राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी के साथ भेजे जाते हैं, जिन पर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद पीएमजेवीके की अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें मंजूरी दी जाती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि सहित केंद्र सरकार के विभाग/संगठन अपने प्रस्ताव अपने मूल विभाग/मंत्रालय के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं।

2.8 पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/केंद्र सरकार संगठन द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/केंद्र सरकार संगठन द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं की कोई आवर्ती और/या रखरखाव लागत वहन नहीं करती है। परियोजना को उसके जीवनकाल में चलाना और उसका रखरखाव करना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। पीएमजेवीके योजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों को किसी बाहरी एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

2.9 2014–15 से बजट आवंटन और व्यय

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	आबंटन (बजट अनुमान)	आबंटन (संशोधित अनुमान)	व्यय
2014–15	1250.00	770.94	768.20
2015–16	1251.64	1126.64	1120.73
2016–17	1125.00	1059.00	1082.78
2017–18	1200.00	1200.00	1197.66
2018–19	1320.00	1320.00	1156.06
2019–20	1470.00	1588.86	1698.29
2020–21	1600.00	971.38	1091.94
2021–22	1390.00	1199.55	1266.87
2022–23	1650.00	500.00	222.67
2023–24	600.00	550.00	188.91

2.10 निगरानी तंत्र

पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र मौजूद है। ब्लॉक स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से निगरानी के सामान्य चैनल के अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय परियोजनाओं के निर्माण और कमीशनिंग की प्रगति की निरंतर

समीक्षा करता है। ऐसी समीक्षाएं राज्य अधिकारियों के साथ अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के दौरान, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को लिखित पत्रों के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ सम्मेलनों/बैठकों/चर्चाओं और मंत्रालय के अधिकारियों के दौरों के माध्यम से की जाती हैं।

मंत्रालय में एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना, PMJVK वेब पोर्टल की स्थापना और पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए NRSC-ISRO के BHUVAN एप्लिकेशन के माध्यम से पीएमजेवीके परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी को शामिल करके निगरानी तंत्र को और मजबूत किया गया है।

2.11 2023–24 के दौरान प्रगति (31.03.2024 तक)

वित्तीय प्रगतिः वित्तीय वर्ष 2023–24 में, केंद्रीय हिस्से की किस्तों के रूप में 187.88 करोड़ रुपये (31.03.2024 तक) जारी किए गए। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों को धन जारी करने के लिए व्यय विभाग के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत एसएनए मॉडल की शुरुआत के बाद, पीएमजेवीके योजना को लागू करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य नोडल एजेंसियों (SNA) को नामित किया है और एसएनए के समर्पित बैंक खाते खोले हैं। पीएमजेवीके के तहत धनराशि व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से जारी की जा रही है। नई परियोजनाओं की मंजूरी और धनराशि जारी करने को राज्यों में पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, व्यय की गति, लंबित उपयोग प्रमाण पत्र (UC), राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि और पीएमजेवीके परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग से जोड़ा गया है। योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के बारे में राज्य सरकारों के साथ आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है और उन्हें सलाह दी गई है कि वे पहले एसएनए खातों में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि का उपयोग चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करें। योजना के एसएनए खातों में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के उपयोग के बारे में राज्यों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए।

2.12 2014–15 से 31.03.2024 तक की प्रगति

(क) वित्तीय प्रगतिः वर्ष 2014–15 से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कुल 10286.37 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन उपलब्ध कराया गया। इस अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीजीओ की योजनाओं/परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल परियोजना लागत 17915 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 12718 करोड़ रुपए है। इस अवधि के दौरान योजना के तहत 10014.11 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

(ख) वास्तविक प्रगतिः 2014–15 से 31.03.2024 तक पीएमजेवीके के तहत कुल 17915 करोड़ रुपये की लागत की 5,63,969 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इनमें 1589 स्कूल भवन, 177 आवासीय विद्यालय, स्कूलों में 23103 अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल, 14758 स्मार्ट कक्षाएं/कम्प्यूटर प्रयोगशाला/स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री, 8358 शौचालय/स्कूलों में अन्य बुनियादी ढांचे, स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए

710 छात्रावास, 41 महाविद्यालय, 31 महाविद्यालयों में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे, आईटीआई/आईटीआई के लिए 113 अतिरिक्त बुनियादी ढांचे, पॉलिटेक्निक/मौजूदा पॉलिटेक्निक के लिए 16 अतिरिक्त बुनियादी ढांचे, 2173 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 27 कौशल केन्द्र, 9 हुनर हब, 27 कामकाजी महिला छात्रावास, 6129 आंगनवाड़ी केन्द्र (AWC), 1169 सामुदायिक सेवा केन्द्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल, 79 खेल परियोजनाएं, 17414 पेयजल परियोजनाएं, 11628 इंदिरा आवास योजना (IAY) शामिल हैं।

2.13 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक संस्कृति, भाषा और साहित्य के संरक्षण के साथ–साथ संवर्धन के लिए एक नीति विकसित करने की परिकल्पना की है, जिससे प्रत्येक अल्पसंख्यक के अद्वितीय ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा सके कि संबंधित संस्कृति और विरासत को अस्तित्वहीन होने से बचाया जा सके। इस प्रकार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को संबोधित करने की पहल सामुदायिक पहुंच, मजबूत हितधारकों की भागीदारी और प्रभावी लामबंदी का लाभ उठाकर की गई।

(क) बौद्ध विकास योजना (BDP) परियोजनाएं

बौद्ध विकास योजना (बीडीपी) बौद्ध आबादी की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करती है और उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाती है। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को शामिल करती है। परियोजनाओं में बौद्ध स्कूलों/कॉलेजों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने से लेकर सुरक्षित पेयजल आपूर्ति प्रदान करना, युवाओं के लिए खेल सुविधाओं को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

इस परियोजना के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने लद्दाख से सिक्किम तक मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की है। इसने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को भी कवर किया है। इसके अलावा, बौद्ध कल्याण के लिए शिक्षण/कार्य करने वाले अन्य विभाग/संस्थान इसी तरह की परियोजनाएं विकसित कर सकते हैं और इन्हें केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (CIBS) के साथ हब और स्पोक मॉडल के रूप में संचालित किया जा सकता है।

प्राथमिक कदम के रूप में, बौद्ध विकास योजना के तहत सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख तथा तीन सीजीओ अर्थात् दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिमालयी और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (सीआईएचसीएस) और केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस) के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 300.17 करोड़ रुपये है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सीजीओ परियोजना कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए प्राथमिक एजेंट के रूप में कार्य करेंगे।

(ख) गैर–बीडीपी परियोजनाएं

पारसियों के लिए परियोजनाः पारसियों की सांस्कृतिक विरासत और भाषा के संरक्षण में सहायता के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मुंबई विश्वविद्यालय में 'अवेस्ता पहलवी अध्ययन केंद्र' के लिए 11.17 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

सिख समुदाय के लिए गुरुमुखी केंद्रः दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) के सहयोग से, सिख समुदाय के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली विश्वविद्यालय के 'खालसा कॉलेज में गुरुमुखी लिपि केंद्र' की स्थापना के लिए मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है, ताकि समुदाय के सांस्कृतिक संतुलन के सार को संरक्षित करने में भाषा के अभिन्न महत्व पर जोर दिया जा सके।

जैन समुदाय के लिए परियोजनाएंः जैन समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से दो परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की है, 'देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV), इंदौर परिसर', मध्य प्रदेश में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना और गुजरात विश्वविद्यालय में 'जैन पाण्डुलिपि विज्ञान केंद्र', दोनों की कुल अनुमानित लागत 65 करोड़ रुपये है।

सद्भाव मंडपः बरखेत्री विकास खंड, नलबाड़ी, असम

मोराजी देसाई आवासीय पीयू कॉलेज, अरेकेरी, विजयपुर टाउन, कर्नाटक

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, निउलैंड, नागालैंड

सैतु, कांगपोकपी जिले में मॉडल आवासीय विद्यालय

अध्याय–3
शैक्षिक सशक्तीकरण पहल

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के वित्तीय बोझ को कम करना है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को सुसंगत बनाने के समग्र अभ्यास के हिस्से के रूप में, इन योजनाओं को 15वें वित्त आयोग चक्र की शेष अवधि के लिए प्रधान मंत्री शैक्षिक सशक्तीकरण योजना (पीएमईईएस) नामक एक व्यापक योजना के दायरे में लाया जाएगा।

3.1 छात्रवृत्ति योजनाएं

मंत्रालय अल्पसंख्यक छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

क) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना;

ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; तथा

ग) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

मंत्रालय की उपरोक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी–2.0) के नए संस्करण के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। छात्रवृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

क) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना को जनवरी 2008 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी। इस योजना के हिस्से के रूप में, भारत में सरकारी/मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में पढ़ने वाले, पिछले अंतिम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले और जिनके माता–पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वे मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII तक) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। इसलिए, अन्य मंत्रालयों/विभागों की मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत केवल कक्षा IX और X में पढ़ने वाले छात्र ही कवर होते हैं। इसी तरह 2022–23 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत कवरेज को भी केवल कक्षा IX और X तक ही सीमित कर दिया गया है।

ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नवंबर 2007 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत के सरकारी/मान्यता प्राप्त निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों सहित आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/कॉलेजों के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रदान की जाती है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना कक्षा XI से पीएचडी तक के छात्रों को कवर करती है।

पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्र और जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (BHMNS), जो केवल कक्षा IX से XII तक की बालिकाओं के लिए थी, को 2022–23 से मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर योजनाओं के साथ शामिल कर दिया गया है।

ग) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2007 में शुरू किया गया था। उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत वे छात्र पात्र हैं, जिन्होंने किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया है, जिसे किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है। बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के प्रवेश पाने वाले छात्रों के मामले में, नए छात्रवृत्ति के मामले में छात्रों को उच्चतर माध्यमिक/ स्नातक स्तर पर अंतिम अर्हता परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने अपेक्षित है। माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थानों में से किसी में भी प्रवेश लेने वाले पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3.2 मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना 2009–10 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को भारत में एम.फिल. और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा में डिग्री हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना था। UGC-NET या संयुक्त सीएसआईआर– UGC-NET परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत आवेदन के

लिए पात्र थे। चयनित उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड में वितरित की गई और सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की गई।

अन्य मंत्रालयों की इसी तरह की योजनाओं के साथ इसके स्पष्ट ओवरलैपिंग के कारण इस योजना को 2022–23 से बंद कर दिया गया है। मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मौजूदा लाभार्थियों को उनकी पढ़ाई पूरी होने तक अध्येतावृत्ति जारी रहेगी।

3.3. पढ़ो परदेश – ब्याज सब्सिडी योजना

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए मास्टर्स, एम.फिल. और पीएचडी स्तर पर अनुमोदित पाठ्यक्रम करने के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंक से ऋण लेने वाले छात्रों द्वारा स्थगन अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि, साथ ही नौकरी मिलने के एक वर्ष या छह महीने बाद, जो भी पहले हो) के लिए देय ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया गया।

इस योजना को वित्त वर्ष 2022–23 से बंद कर दिया गया है क्योंकि विभिन्न अन्य सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से शिक्षा ऋण सस्ती दरों पर उपलब्ध है। यह योजना मौजूदा लाभार्थियों को उनकी अवधि पूरी होने तक लाभ प्रदान करती रहेगी।

अध्याय–4
कौशल एवं आजीविका पहल

4.1 प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)

मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) नामक एक एकीकृत योजना तैयार की है, जो मंत्रालय की पांच मौजूदा योजनाओं – सीखो और कमाओ, विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण को उन्नत करना (USTTAD), हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को एकीकृत करने वाली एक अब्रेला योजना है। यह योजना समुदाय के भीतर सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों को राष्ट्रीय विकास की कहानी में स्वयं के लिए जगह बनाने में सहायता करेगी और अन्य सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लाभार्थियों को भी सेवा प्रदान करेगी, जिससे "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" की व्यापक भावना में सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना को निम्नलिखित चार घटकों में कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है:

i. घटक 1 – आधुनिक कौशल

ii. घटक 2 – पारंपरिक प्रशिक्षण

iii. घटक 3 – महिला नेतृत्व और उद्यमिता

iv. घटक 4 – शिक्षा सहायता (नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग)

इस योजना में लाभ के एक भाग के रूप में एनएमडीएफसी के माध्यम से ऋण लिंकेज को भी एकीकृत किया जाएगा।

मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद (NCVET), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS), प्रबंधन एवं उद्यमिता तथा व्यावसायिक कौशल परिषद (MEPSC) के प्रतिनिधियों के साथ कई परामर्श बैठकें की हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम विकास योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID), राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) तथा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (EPCH) सहित मंत्रालय के ज्ञान भागीदारों के प्रतिनिधियों के साथ भी परामर्श बैठकें की गई हैं।

पीएम विकास योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से मंत्रालय की पिछली कौशल और शिक्षा योजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियों को चुकाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2023–24 में मंत्रालय ने पिछली/प्रतिबद्ध देनदारियों को चुकाने के लिए 209.42 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2023–24	249.85	215.98	209.42

मंत्रालय की पूर्ववर्ती योजनाओं का विवरण, जिन्हें अब पीएम विकास के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है, इस प्रकार है:

4.2 सीखो और कमाओ – अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल

'सीखो और कमाओ' को भारत के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना के रूप में सितंबर 2013 में शुरू किया गया था।

इस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं (14–45 वर्ष) के कौशल को उनकी योग्यता, मौजूदा आर्थिक रुझानों और बाजार की संभावनाओं के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है, जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार अपनाने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बन सकें। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 4.68 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है।

पिछले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत किया गया व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
2018–2019	250.00	175.73
2019–2020	250.00	175.52
2020–2021	250.00	190.03
2021–2022	276.00	268.48
2022–2023	235.41	65.28

4.3 नई मंजिल

नई मंज़िल योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं में स्कूल ड्रापआउट समस्या का समाधन करना और उन्हें ओपन स्कूलिंग सर्टिफिकेशन (OBE) 8वीं/10वीं और NSQF–अनुरूप कौशल के माध्यम से कम से कम 3 महीने के लिए औपचारिक शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर रोज़गार और आजीविका के अवसर तलाश सकें। लाभार्थियों में वे लोग शामिल थे जिन्होंने मदरसा जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की है या ऐसे छात्र जिनके पास औपचारिक स्कूल ड्रापआउट का प्रमाण पत्र नहीं है।

नई मंज़िल योजना मंत्रालय के लिए विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई पहली योजना है और इसे विश्व बैंक के 50% योगदान से वित्त पोषित किया गया है। इस योजना में 98,000 से अधिक लाभार्थी शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों में नई मंजिल के अंतर्गत किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
2018–2019	140.00	93.73
2019–2020	140.00	34.44
2020–2021	120.00	59.84
2021–2022	87.00	48.86
2022–2023	46.00	7.62

4.4 नई रोशनी – महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना

नई रोशनी योजना वित्त वर्ष 2012–13 में शुरू की गई एक अनूठी महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं, जिनमें अन्य समुदायों की उनकी पड़ोसी भी शामिल हैं, को सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना था। इस योजना के तहत 4.35 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

लक्षित महिला लाभार्थियों को 6 दिवसीय मॉड्यूलर प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, जल, स्वच्छता, कानूनी अधिकार और हक जैसे मुद्दों को कवर करने वाले विभिन्न नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया।

4.5 उस्ताद – विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन

वर्ष 2015 में शुरू की गई उस्ताद योजना का उद्देश्य कुशल शिल्पकारों और कारीगरों के पारंपरिक कौशल का क्षमता निर्माण और उन्नयन करना; अल्पसंख्यकों की पहचान की गई पारंपरिक कलाओं/शिल्पों का दस्तावेजीकरण करना; पारंपरिक कौशल के मानक तय करना; कुशल शिल्पकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न पहचानी गई पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का प्रशिक्षण देना; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार संबंध विकसित करना; और लुप्त हो रही कलाओं और शिल्पों का संरक्षण करना है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 21,000 से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है।

उस्ताद योजना के तहत 41 हुनर हाट आयोजित किए गए। इनका विवरण अनुबंध V में देखा जा सकता है।

मंत्रालय ने डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद रेंज विकास, पैकेजिंग, प्रदर्शनियों, बिक्री बढ़ाने के लिए ई–मार्केटिंग पोर्टलों के साथ गठजोड़ और ब्रांड निर्माण के लिए विभिन्न शिल्प समूहों में काम करने के

लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (IIP) जैसे संस्थानों को भी शामिल किया है। देश के विभिन्न राज्यों में फैले 35 कारीगर शिल्प समूहों में ज्ञान भागीदारों द्वारा कुल 130 डिजाइन और विकास कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। उस्ताद योजना के तहत शामिल शिल्प समूहों का विवरण अनुबंध VI में दिया गया है।

एनआईडी द्वारा लेह–लद्दाख में लिकिर पॉटरी क्लस्टर के लिए कार्यशाला

एनआईडी परिसर में गोवा के क्रोशिया क्लस्टर के लिए कार्यशाला

NIFT द्वारा उदयपुर, राजस्थान के एप्लिक पैचवर्क पर कार्यशाला

NIFT द्वारा उदयगिरि, आंध्र प्रदेश के लकड़ी के कटलरी क्लस्टर के लिए कार्यशाला के लाभार्थी

पिछले पांच वर्षों में उस्ताद के अंतर्गत किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2018–2019	30.00	50.00	31.26
2019–2020	50.00	60.00	54.48
2020–2021	60.00	60.00	56.74
2021–2022	47.00	47.00	76.68
2022–2023	47.00	47.00	10.61

अध्याय–5
विशेष पहल: जियो पारसी योजना

5.1 जियो पारसी योजना को वित्त वर्ष 2013–14 में एक अद्वितीय केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेप को अपनाकर भारत में पारसी जनसंख्या की घटती प्रवृत्ति को परिपर्तित कर उनकी जनसंख्या को स्थिर करना है।

5.2 इस योजना के तीन घटक हैं, चिकित्सा सहायता, समर्थन और समुदाय का स्वास्थ्य:

क. योजना के चिकित्सा घटक के अंतर्गत, पारसी विवाहित जोड़ों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

ख. "समुदाय के लिए स्वास्थ्य" घटक बाल देखभाल और बुजुर्ग लोगों के लिए वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करने पर केंद्रित है; तथा

ग. वंश वृद्धि के लिए पारसी आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समर्थन/आउटरीच कार्यक्रम।

5.3 प्रारंभ से लेकर अब तक इस योजना के तहत 31.03.2024 तक 400 से अधिक पारसी बच्चों का जन्म हुआ है।

अध्याय–6
हज प्रबंधन

6.1 हज, वर्ष की एक निश्चित अवधि में सऊदी अरब में मुसलमानों की एक वार्षिक धार्मिक तीर्थयात्रा है। यह भारत सरकार द्वारा भारतीय सीमाओं के बाहर किए जाने वाले सबसे जटिल और सबसे बड़े लॉजिस्टिक संचालन अभियानों में से एक है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, भारत के महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा और भारतीय हज समिति के सक्रिय समन्वित प्रयास इस तीर्थयात्रा को भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सफल और सुविधाजनक बनाने में शामिल हैं।

6.2 हज समिति अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रशासन सहित हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य 01.10.2016 से विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। तदनुसार, हज प्रबंधन के कार्य को संभालने के लिए मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज) की अध्यक्षता में अन्य पदों के साथ एक अलग प्रभाग स्थापित किया गया।

6.3 यह मंत्रालय विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW), भारतीय हज समिति (HCoI) और भारत के महावाणिज्य दूतावास (CGI), जेद्दा, सऊदी अरब गणराज्य के साथ समन्वय में हज कार्य का प्रबंधन करता है। मंत्रालय, भारतीय हज समिति, जो हज समिति अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है; भारतीय महावाणिज्य दूतावास (CGI), जेद्दा के हज संबंधी प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना है, CGI, जेद्दा में अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक और चिकित्सा/पैरामेडिकल अधिकारियों का चयन करता है तथा हज समूह आयोजकों (HGOs) का पंजीकरण, और HGOs को हज कोटा आवंटित करता है।

6.4 हज यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौते और उसके प्रावधानों द्वारा संचालित और विनियमित होती है। हर साल, हज हिजरी कैलेंडर के अनुसार 8 से 13 ज़िलहिज्जा (मुख्य हज अवधि – 6 दिन) के दौरान किया जाता है।

6.5 मुख्य हज अवधि के दौरान, तीर्थयात्री हज संबंधी रिवाजों का पालन करने के लिए सऊदी अरब के मक्का में मीना, अराफात और मुजदलिफा जैसे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। भारतीय हज यात्री मुख्य हज अवधि के अलावा मदीना में 8 दिन और मक्का में लगभग 25 से 30 दिन रुकते हैं। इस प्रकार, भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए पूरी यात्रा अवधि लगभग 40–45 दिनों की होती है।

6.6 हज 2024 के लिए, सऊदी अरब ने भारत को 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा आवंटित किया। इसे भारत सरकार और सऊदी अरब के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारतीय हज समिति (HCoI) और हज समूह आयोजकों (HGO) के बीच 80:20 के अनुपात में वितरित किया गया, यानी, HCoI के लिए 1,40,020 तीर्थयात्री और HGO के लिए 35,005 तीर्थयात्री।

6.7 पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई नई पहल

क. हज–2022 तक सरकारी विवेकाधीन कोटे के तहत 500 सीटें थीं, जिनका उपयोग संबंधित कार्यालयों अर्थात् माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक

कार्य मंत्रालय और भारतीय हज समिति द्वारा किया गया। आम तीर्थयात्रियों के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए सरकारी विवेकाधीन कोटे के तहत सभी सीटें अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई हैं।

ख. महिला तीर्थयात्रियों, दिव्यांगजनों और शिशुओं सहित बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए स्वच्छता और शिशु आहार की आवश्यकता को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से पूरा किया गया है।

ग. 2023 से पहले, चार महिलाओं का समूह के बिना अकेली महिलाओं को लेडी विदाउट मेहरम (LWM) श्रेणी के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं थी। अब अकेली महिलाएं, चाहे समूह में हों या अकेली, LWM श्रेणी के तहत हज के लिए आवेदन कर सकती हैं। हज–2024 के दौरान, LWM श्रेणी के तहत अब तक की सबसे अधिक 4500 से अधिक महिलाओं ने हज किया है। इस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाली सभी महिलाओं को हज सीटों का आवंटन वरीयता के आधार पर किया गया है।

घ. मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सऊदी अरब स्थित भारतीय मिशन के साथ समन्वय करके भारतीय तीर्थयात्रियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक दवाइयां और उपकरण उपलब्ध कराए।

ङ. हज–2023 के बाद से, आवेदन शुल्क केवल उन तीर्थयात्रियों से लिया जा रहा है जिन्होंने आवेदन किया था और उन्हें कन्फर्म सीट मिली थी, जिससे उन कई व्यक्तियों को सीधे लाभ हुआ है जिन्होंने हज के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कन्फर्म सीट नहीं मिल सकी थी।

च. हज–2023 के बाद, पहली बार मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों से प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने के लिए अपने पोर्टल पर एक फीडबैक तंत्र शुरू किया, जिससे आगामी वर्षों में सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य फीडबैक और इनपुट उपलब्ध हो सके।

छ. सीएपीएफ/पुलिस बलों में से प्रशासनिक प्रतिनियुक्तिकर्ताओं का चयन (जिससे सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यावसायिकता और सहायता सुनिश्चित हो सके)।

ज. तीर्थयात्रियों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिस्पर्धी दरों पर एसबीआई के माध्यम से तीर्थयात्रियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि पहले प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए एक निश्चित राशि की विदेशी मुद्रा खरीदना अनिवार्य था।

झ. मंत्रालय ने गैर–आवश्यक घटकों को हटाकर भारतीय हज समिति (HCoI) के माध्यम से हज पैकेज की लागत को तर्कसंगत बनाया। तीर्थयात्रियों को जरूरत और क्षमता के अनुसार दैनिक उपयोग की वस्तुएं ले जाने की अनुमति दी गई ताकि उन्हें इसके लिए भारतीय हज समिति को बड़ी राशि का भुगतान न करना पड़े।

ञ. भारतीय हज यात्रियों और प्रशासनिक मशीनरी को अधिक आसानी और सुविधा प्रदान करने के लिए हज 2024 के दौरान हज सुविधा ऐप विकसित और लॉन्च किया गया।

6.8 हज 2024 से लागू किए जाने वाले निर्णय

क. हज सुविधा ऐप को हज 2024 के दौरान विकसित और लॉन्च किया गया है, ताकि भारतीय हज यात्रियों को शिकायत निवारण और तीर्थयात्रा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी के रूप में अधिक आसानी और सुविधा प्रदान की जा सके, साथ ही भारत के हज संचालन के प्रबंधन और प्रशासन के लिए सऊदी अरब में तैनात सरकारी अधिकारियों के लिए एक प्रशासनिक इंटरफेस प्रदान किया जा सके।

ख. हज परिचालन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए सऊदी अरब में अस्थायी रूप से तैनात प्रशासनिक प्रतिनियुक्तिकर्ताओं का चयन अखिल भारतीय सेवाओं/केन्द्रीय सिविल सेवाओं, सीएपीएफ और पुलिस बलों में से किया गया, जिससे सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यावसायिकता और सहायता सुनिश्चित हो सके।

6.9 तथ्य और आंकड़े: हज 2024

भारत से आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या	भारतीय हज समिति के तीर्थयात्रियों की कुल संख्या	1,40,020
	एचजीओ तीर्थयात्रियों की कुल संख्या	35,005
	पंजीकृत एचजीओ की संख्या	564
हज प्रबंधन के लिए सीजीआई, जेद्दा में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी	समन्वयकों	8
	सहायक हज अधिकारी	53
	हज सहायक	203
	डॉक्टर	166+2 (मेडिकल समन्वयक)
	पैरामेडिकल	188
	कुल	620
भारत से उड़ान संचालन	आगमन चरण	09.05.2024 से 09.06.2024
	प्रस्थान चरण	22.06.2024 से 21.07.2024
भारत में प्रस्थान बिंदु	डायरेक्ट – 19	कुल – 19
मक्का/मदीना, सऊदी अरब में किराये पर ली गई इमारतों की संख्या	मर्कज़िया, मदीना में इमारतें	95% से अधिक
	मक्का में इमारतें	486

भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब में अस्थायी शाखाएं और औषधालय स्थापित किए गए	मक्का	मदीना
	शाखाएं – 17	शाखाएं – 3
	औषधालय – 17	औषधालय – 4
	4 अस्पताल – अज़ीज़िया, मक्का में 40 बिस्तरों वाला, 40 बिस्तरों वाला, 10 बिस्तरों वाला और एक 30 बिस्तरों वाला महिला अस्पताल	1 अस्पताल – मदीना में मर्कज़िया क्षेत्र के बाहर 20 बिस्तरों वाला अस्पताल
ओपीडी और मोबाइल मेडिकल टीम ने भारतीय चिकित्सा मिशन, भारतीय महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा द्वारा संभाले गए मामलों का दौरा किया	दो लाख से अधिक	

अध्याय–7
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

7.1 जनवरी 1978 में भारत सरकार (GOI) ने एक कार्यकारी आदेश के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए 'अल्पसंख्यक आयोग' की स्थापना की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (छब्ड) अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ, अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' (NCM) कर दिया गया। पहला वैधानिक आयोग 17.05.1993 को गठित किया गया था। भारत सरकार ने 23.10.1993 की अधिसूचना के तहत पांच धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया। जैनियों को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.01.2014 के तहत एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

7.2 एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य और ईमानदार व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा। अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे। एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार, अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

7.3 आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान और केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों में दिए गए सुरक्षा उपायों के कामकाज की निगरानी करना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों पर ध्यान केन्द्रित करना है। यह अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन और शोध का प्रावधान रखता है और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करता है।

7.4 एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार एनसीएम, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, उसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, जहाँ तक वे केंद्र सरकार से संबंधित हैं, और ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हो, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से संबंधित सिफारिशें एनसीएम द्वारा एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 9(3) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें भेजी जाती हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं।

अध्याय–8
भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त (CLM)

8.1 संविधान के अनुच्छेद 350–ख के तहत प्रावधान के अनुसरण में जुलाई 1957 में भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी, जो राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) की सिफारिश के परिणामस्वरूप संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 350–ख में संविधान के तहत भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की सीएलएम द्वारा जांच और राष्ट्रपति को उनके निर्देशानुसार इन मामलों पर ऐसे अंतरालों पर रिपोर्ट करने की परिकल्पना की गई है और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को भेजते हैं। सीएलएम संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सीएलएम भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार–विमर्श करता है। भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त की 52 रिपोर्टें अब तक संसद में रखी जा चुकी हैं।

8.2 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा

भारत के संविधान के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और उनकी विशिष्ट भाषाओं, लिपियों या संस्कृति को संरक्षित करने और अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के उनके अधिकार को मान्यता देने के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी उद्देश्य के लिए किसी राज्य या उसके किसी भाग की जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 350 संघ या राज्य के किसी भी प्राधिकारी को संघ/राज्यों में प्रयुक्त किसी भी भाषा में शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 350क भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के छात्रों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 350ख संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नामित एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।

8.3 सीएलएम के कार्य और गतिविधियां

सीएलएम संगठन अल्पसंख्यक व्यक्तियों, समूहों, संघों और संगठनों से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों पर विचार करता है। सीएलएम व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा उपायों से संबंधित योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का तात्कालिक आकलन करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यक क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करता है। इस संबंध में, आयुक्त, आवश्यकता पड़ने पर, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ विचार–विमर्श करता है। सीएलएम प्रशासन के उच्चतम स्तरों जैसे मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (शिक्षा) और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों की योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सौंपे गए विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ भी विचार–विमर्श करता है।

अध्याय–9
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)

9.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) को 30.09.1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत 'गैर–लाभकारी' कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। एनएमडीएफसी अधिसूचित अल्पसंख्यकों के बीच 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है।

एनएमडीएफसी की रियायती ऋण योजनाएं जैसे सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, सूक्ष्म वित्त और विरासत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। अपनी योजनाओं के कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से, एनएमडीएफसी ने एनएमडीएफसी योजनाओं को लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में केनरा बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

9.2 केंद्र सरकार ने 2015 में एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी को 1,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और संस्थानों/व्यक्तियों का हिस्सेदारी पैटर्न अनुपात क्रमशः 73:26:1 है। भारत सरकार ने 2190.00 करोड़ रुपये का अपना पूरा हिस्सा 31.03.2024 तक एनएमडीएफसी को इक्विटी के रूप में पहले ही दे दिया है, जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 419.24 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। 31.03.2024 तक कुल चुकता पूंजी 2,609.25 करोड़ रुपये है।

9.3 उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएमडीएफसी ने 1.84 लाख से अधिक लाभार्थियों को 765.45 करोड़ रुपये की ऋण राशि प्रदान की है। 1994 में अपनी स्थापना के बाद से, एनएमडीएफसी ने 23.85 लाख से अधिक लाभार्थियों को 8771.88 करोड़ रुपये (31.03.2024 तक) की राशि का ऋण वितरित किया है।

9.4 एनएमडीएफसी की योजनाएं और कार्यक्रम

9.4.1 एनएमडीएफसी की ऋण योजनाएं:

9.4.1.1 सावधि ऋण योजना

यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए है और इसे एससीए और केनरा बैंक के माध्यम से क्रियान्वित

किया जाता है। क्रेडिट लाइन–1 के तहत 20 लाख रुपये तक और क्रेडिट लाइन–2 के तहत 30 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं को वित्त–पोषण प्रदान किया जाता है। एनएमडीएफसी, परियोजना लागत के 90% तक ऋण प्रदान करता है। लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 5% योगदान देना होता है। परियोजना की शेष लागत एससीए द्वारा वहन की जाती है।

i. क्रेडिट लाइन–1: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 98,000/– रुपये तक है और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/– रुपये तक है।

ii. क्रेडिट लाइन–2: 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय, जिसमें थोड़ी अधिक ब्याज दरों पर अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध है।

9.4.1.2 शिक्षा ऋण योजना

यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई है। इस योजना के तहत भारत में 'तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों' के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण है और विदेश में पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण प्राप्त करने की अधिकतम पाठ्यक्रम अवधि 5 वर्ष है।

9.4.1.3 सूक्ष्म वित्तपोषण योजना

इस योजना के तहत, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना उन लाभार्थियों तक पहुँचने का प्रयास करती है जो औपचारिक ऋण का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इसके लिए आवश्यक है कि लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित किया जाए और उन्हें बचत और ऋण की आदत डाली जाए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। इस योजना में एसएचजी के नेटवर्क के माध्यम से सबसे गरीब लोगों को अनौपचारिक तरीके से सूक्ष्म ऋण देने की परिकल्पना की गई है, ताकि लाभार्थियों को त्वरित ऋण वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

9.4.1.4 विरासत योजना

इस योजना का उद्देश्य कारीगरों की कार्यशील पूंजी और उपकरणों, औजारों और मशीनरी की निश्चित पूंजी आवश्यकताओं के संदर्भ में ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है।

9.4.2 एनएमडीएफसी की प्रोत्साहन योजना

9.4.2.1 विपणन सहायता योजना

विपणन सहायता योजना को विकास अधिदेश के भाग के रूप में क्रियान्वित किया जाता है, ताकि कारीगरों/लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को संबंधित एससीए द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने में सहायता मिल सके। यह योजना प्रतिभागियों को हैंडलूम और हस्तशिल्प उत्पादों, राज्य विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों आदि को प्रत्यक्ष रूप से खरीददारों को बेचने का अवसर प्रदान करती है।

9.4.2.2 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम

एनएमडीएफसी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय समूह वाले क्षेत्रों में और उसके आसपास के समुदायों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण आदि के लिए समर्थन प्रदान करके अपने सीएसआर कार्यक्रम को लागू कर रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 2.09 करोड़ रुपये की सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर गुरूद्वारा सिंह सभा साहिब, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली को भेंट करना।

9.5 एनएमडीएफसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को अनुदान सहायता

एनएमडीएफसी अपनी योजनाओं को मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से क्रियान्वित करता है। एससीए लाभार्थियों की पहचान करते हैं, रियायती ऋण को चैनलाइज करते हैं और लाभार्थियों से वसूली करते हैं।

एससीए की कमजोर संरचना ऋण वितरण और वसूली में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए, एससीए की संरचना को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 में जीआईए योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, एनएमडीएफसी के माध्यम से एससीए को 100% सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में एससीए द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना में निर्धारित गतिविधियों के दायरे में निधियों के उपयोग का प्रावधान है:

क) जागरूकता अभियान

ख) वितरण प्रणाली में सुधार

ग) ऋण वसूली

घ) वसूली के प्रयोजनों के लिए यात्रा भत्ता एवं महंगाई भत्ते का भुगतान।

इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा आबंटित और जारी की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधन अनुमान	जारी की गई राशि
2014—15	2.00	2.00	2.00
2015—16	2.00	2.00	2.00
2016—17	2.00	2.00	1.27
2017—18	2.00	2.00	0.30
2018—19	2.00	2.00	2.00
2019—20	2.00	2.00	1.925
2020—21	2.00	0.965	0.965
2021—22	2.00	2.00	2.00
2022—23	2.00	2.00	2.00
2023—24	3.00	3.00	3.00

अध्याय–10
वक्फ प्रशासन और केंद्रीय वक्फ परिषद

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जो 01.01.1996 से लागू हुआ। इस अधिनियम में अंतिम बार 2013 में संशोधन किया गया था। यह अधिनियम अब पूरे भारत में लागू है, जिसमें नवगठित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत तीस (30) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 32 वक्फ बोर्ड हैं (बिहार और उत्तर प्रदेश में दो वक्फ बोर्ड हैं – एक शिया और एक सुन्नी के लिए)।

वक्फ प्रभाग की दो योजनाएं: ये योजनाएं वक्फ प्रभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।

क) **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS):** इस योजना का उद्देश्य अभिलेखों के रखरखाव को सरल बनाना, पारदर्शिता लाना और वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों और प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करना है। इस उद्देश्य के लिए, छप्ट द्वारा एक वेब–आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका नाम भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली (WAMSI) है, विकसित किया गया था, ताकि निम्नलिखित चार मॉड्यूल को कवर करने वाले एक केंद्रीकृत डेटाबेस को एकत्रित किया जा सके:

i. वक्फ का पंजीकरण

ii. मुतवल्ली से संबंधित रिटर्न का मूल्यांकन

iii. संपत्तियों का पट्टा विवरण

iv. मुकदमेबाजी की ट्रैकिंग

कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजना (QWBTS) की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

i. वित्तीय सहायता–पंजीकरण के समय वर्गीकरण के आधार पर संपत्ति/औकाफ को जीआईएस मैपिंग के लिए वक्फ संपत्ति के निर्देशांक के संग्रह के लिए राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) को वित्त सहायता प्रदान किया जाता है;

ii. आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सहायक प्रोग्रामर के रूप में जनशक्ति की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि राज्य वक्फ बोर्ड को WAMSI मॉड्यूल में डेटा प्रविष्टि पूरा करने में सुविधा हो;

iii. गैर–म्यूटेटेड वक्फ संपत्तियों के म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए म्यूटेशन सहायकों की तैनाती के लिए राज्य बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

iv. उन राज्य वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास छह हजार से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं और अन्य वक्फ बोर्डों को स्टेशनरी और आईसीटी उपभोग्य सामग्रियों के लिए केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सुविधा (CCF) द्वारा उपयोग किया जाता है;

v. प्रत्येक जोनल कार्यालय के लिए एक जोनल वक्फ अधिकारी और एक सर्वेक्षण सहायक उपलब्ध कराया जाना है। राज्य वक्फ बोर्ड में एक जोनल कार्यालय के लिए जनशक्ति उपलब्ध कराई जाएगी, जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या 10,000 से 25,000 के बीच है और दो जोनल कार्यालयों के लिए जहां यह संख्या 25,000 से अधिक है। हालांकि, ऐसे जोनल कार्यालय के लिए कोई जनशक्ति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या 10,000 से कम है;

vi. वक्फ बोर्डों के बेहतर प्रशासन के लिए ई–ऑफिस सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को 3.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; तथा

vii. वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा के रखरखाव के लिए राज्य बैंकों को 50,000/– रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

viii. केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना के तहत GIA सीडब्ल्यूसी को जारी किया जाता है जो इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों (SWB) को प्रदान करता है।

ख) शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (पूर्व में शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए योजना के रूप में जानी जाती थी)

i. औकाफ मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण है। अपने धार्मिक पहलुओं के अलावा, औकाफ सामाजिक कल्याण के साधन भी हैं क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में जरूरतमंदों को लाभ मिलता है। हालांकि, देश में अधिकांश औकाफ की आय सीमित और लगभग स्थिर है। इसका परिणाम यह है कि आम तौर पर मुतवल्ली (औकाफ के प्रबंधक) वक्फ के इरादे या उन उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं जिनके लिए ये औकाफ बनाए गए हैं। अधिकांश शहरी वक्फ भूमि में विकास की क्षमता है, लेकिन मुतवल्ली और यहां तक कि वक्फ बोर्ड भी इन जमीनों पर पर्याप्त संसाधन या आधुनिक कार्यात्मक इमारतों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं।

ii. औकाफ और वक्फ बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और उन्हें अपने कल्याण कार्यों के क्षेत्र को बढ़ाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, यह योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य खाली पड़ी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाना और अधिक आय उत्पन्न करने और/या कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इन संपत्तियों पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित करना है।

iii. इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न वक्फ बोर्डों और वक्फ संस्थाओं को वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों, जैसे वाणिज्यिक परिसर, विवाह हॉल, अस्पताल और कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

iv- योजना में विशेष प्रावधानः विशेष मामले के रूप में, वक्फ भूमि पर सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के साथ राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थाओं को भी अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय वक्फ परिषद इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत नियम/विनियम तैयार करना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधीनस्थ विधान तैयार करना।

उपरोक्त पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए, मंत्रालय बार–बार विभिन्न स्तरों पर चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत नियम बनाने के लिए मामले को उठाता रहा है, जैसा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 57 द्वारा संशोधित किया गया है। संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत नियम बनाने की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार हैः

i. 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने नियमों को अधिसूचित किया है; और

ii. 13 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात; आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, झारखंड और राजस्थान ने नियमों का मसौदा तैयार किया है लेकिन अभी तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।

केंद्रीय वक्फ परिषद

क) वक्फ अधिनियम के तहत पृष्ठभूमि और वैधानिक प्रावधान

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केन्द्रीय वक्फ परिषद औकाफ का शीर्ष संगठन है, जिसकी स्थापना वक्फ अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में 1964 में की गई थी। यह वक्फ बोर्डों के कामकाज और देश में औकाफ के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। हालांकि, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बाद परिषद की भूमिका का विस्तार किया गया, जिसने इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार दिया है। इसके अलावा, संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9(4) के तहत भी प्रावधान शामिल किया गया है, जिसने परिषद को बोर्डों के प्रदर्शन, विशेष रूप से उनके वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण और वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में परिषद को जानकारी देने के लिए बोर्डों/राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्रदान की हैं।

ख) वर्तमान संरचना

केंद्रीय वक्फ परिषद में अध्यक्ष होता है, जो वक्फ का प्रभारी केंद्रीय मंत्री होता है और ऐसे अन्य सदस्य, जिनकी संख्या अधिनियम में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों से 20 से अधिक नहीं होती, भारत सरकार द्वारा

नियुक्त किए जा सकते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, अल्पसंख्यक मामलों की माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी केंद्रीय वक्फ परिषद की पदेन अध्यक्ष थीं। वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उप–धारा (1) और (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार 12वीं परिषद का गठन 4 फरवरी 2019 को किया गया था।

ग) केंद्रीय वक्फ परिषद के कार्य

i. राज्य वक्फ बोर्डों को उनके वित्तीय निष्पादन, सर्वेक्षण, वक्फ कार्यों के रखरखाव, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर निर्देश जारी करना;

ii. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राज्य वक्फ बोर्डों को बोर्डों के कामकाज और औकाफ के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देना;

iii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

iv. वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति तथा अतिक्रमण आदि को हटाने के लिए कानूनी सलाह प्रदान करना;

v. शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना को क्रियान्वित करना और विकास के लिए संभावित वक्फ भूमि की पहचान करना;

vi. गरीबों, विशेषकर महिलाओं के कौशल विकास और सशक्तीकरण के लिए शैक्षिक और महिला कल्याण योजना को लागू करना;

vii. कौमी वक्फ बोर्ड तरक़्क़ियाती योजना लागू करना;

viii. संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9(4) के अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्डों के प्रदर्शन के बारे में राज्य सरकारों/वक्फ बोर्डों से जानकारी प्राप्त करना;

ix. वक्फ से संबंधित मुद्दों को केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), रेलवे, राजस्व और वन विभाग के साथ उठाना; और

x. परिषद के हित को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना तथा वक्फ संस्थाओं और बोर्ड को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाना।

केंद्रीय वक्फ परिषद एक शैक्षिक योजना भी लागू कर रही है, जो मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के परामर्श से केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने हेतु कोचिंग कार्यक्रमों पर केंद्रित है।

अध्याय–11
दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

दरगाह शरीफ, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर का प्रबंधन

11.1 दरगाह कमेटी का अधिदेश दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 और उसके उपनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से जनता को सेवा प्रदान करना है। केंद्र सरकार दरगाह अधिनियम, 1955 की धारा 4 और 5 के तहत दरगाह कमेटी का गठन करती है। ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 के अनुसार दरगाह समिति में न्यूनतम 5 और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से सभी हनफ़ी मुसलमान होंगे, जिन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।

11.2 दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अनुसार, नाज़िम और सीईओ की नियुक्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है।

11.3 दरगाह कमेटी जायरीन/आम जनता के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती हैं:

i. पवित्र तीर्थस्थल पर प्रतिदिन फूल, चंदन और मोमबत्तियों का अर्पण

ii. हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ (र.अ.) के वार्षिक उर्स का प्रबंधन

iii. दरगाह शरीफ के अंदर मुहर्रम शरीफ का प्रबंधन (मिनी उर्स) और चिल्ला हजरत बाबा फरीद (र.अ.) का उद्घाटन

iv. हर छठी शरीफ पर विशेष फातिहा ख्वानी

v. खुल्फ़ा–ए–रशीदीन और बुज़ुर्गन–ए–दीन की फ़ातिहा

vi. गरीबों के लिए दैनिक लंगर और रमजान के पवित्र महीने के दौरान विशेष सेहरी/इफ्तार की व्यवस्था

vii. धर्मशास्त्र का ज्ञान प्रदान कर दारुल उलूम "मोइनिया उस्मानिया" दरगाह शरीफ का संचालन

viii. सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त ख्वाजा मॉडल स्कूल (अंग्रेजी माध्यम का स्कूल) कक्षा 12 तक चलाया जा रहा है। यह सभी समुदायों के 1257 छात्रों को धर्मशास्त्र और नैतिक शिक्षा के बुनियादी ज्ञान के साथ शिक्षा प्रदान कर रहा है।

ix. गरीब नवाज कंप्यूटर सेंटर का प्रबंधन

x. विधवाओं और जरूरतमंद व्यक्तियों को वजीफा

xi. तीन अलग–अलग औषधालयों अर्थात् यूनानी, होम्योपैथिक और एलोपैथिक का रखरखाव

xii. चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति

xiii. ईदगाह का रखरखाव और विभिन्न मस्जिदों को वित्तीय सहायता

xiv. लावारिस शवों का कफन एवं दफ़न

xv. दरगाह शरीफ परिसर में फिल्टर पेयजल की व्यवस्था

xvi. वज़ू के लिए पानी की व्यवस्था

xvii. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना

xviii. लगभग 179 कमरों वाले गेस्ट हाउस का रखरखाव

xix. दरगाह और गेस्ट हाउस में चौबीसों घंटे साफ–सफाई

xx. दरगाह परिसर में 'ज़ायरीन' को मौसमी खतरों से बचाने के लिए शामियाना उपलब्ध कराया जाना। इसी तरह, उर्स और समय–समय पर होने वाले धार्मिक समागमों के समय भी आश्रय प्रदान किया जाता है।

xxi. हुकूक (मानदेय) का भुगतान

xxii. राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम

xxiii. संपत्तियों और बंदोबस्ती का संरक्षण एवं आवधिक रखरखाव तथा विकास।

11.4 दरगाह शरीफ की महत्वपूर्ण घटनाएं

- वार्षिक उर्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज र.अ. : 1 से 9 रज्जब (हिजरी कैलेंडर)
- मिनी उर्स (उर्स हज़रत बाबा फ़रीद र.अ.): 1 से 10 मुहर्रम (हिजरी कैलेंडर)
- उर्स ख्वाजा उस्मान हारूनीआरए: 5वीं और 6वीं शाबान (हिजरी कैलेंडर)
- छठी शरीफ़ (हर माह) हर हिजरी महीने की 6 तारीख़
- जन्नती द्वार का खुलना (हिजरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष में चार बार)
- वार्षिक उर्स हज़रत बख्तियार काकी र.अ. हिजरी कैलेंडर का 13वां और 14वां रबी–उल–अव्वल
- बसंत (सूफी परंपरा के अनुसार, हिंदी कैलेंडर का माघ महीना)

11.5 वार्षिक उर्स के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पवित्र चादर पेश की जाती है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान प्रतिष्ठित अजमेर शरीफ दरगाह पर रखा जाता है, जो एकता, शांति और सूफी परंपराओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है।

11.6 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (ख्वाजा गरीब नवाज), दरगाह शरीफ, अजमेर का 812वां वार्षिक उर्स 12–18 जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित किया गया। वार्षिक उर्स के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पवित्र चादर पेश की गई, जिसे उर्स के दौरान प्रतिष्ठित अजमेर शरीफ दरगाह पर रखा गया, जो एकता, शांति और सूफी परंपराओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है।

11.7 दरगाह ख्वाजा साहब में पारदर्शिता, पहुंच में आसानी और तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित नई पहलों को लागू किया गया हैः

i. डिजिटल और कैशलेस लेन–देन की दिशा में प्रयास करते हुए, दरगाह के सभी कैश हैंडलिंग पॉइंट (गेस्ट हाउस, रेंट सेक्शन, डोनेशन सेक्शन) को पॉइंट ऑफ सेल मशीनें जारी की गईं। नतीजतन, दरगाह में नकद लेन–देन की संख्या में काफी कमी आई है।

ii. देरी से बचने के लिए दरगाह में कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग लागू की गई है, जिससे वाणिज्यिक बकाया और वेतन का समय पर निपटान हो रहा है।

अध्याय–12
राजभाषा

12.1 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित गतिविधियां

हिंदी भारत संघ की राजभाषा है और सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। वर्ष के दौरान सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

12.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेज जैसे अधिसूचनाएं, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम आदि तथा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सभी पत्र द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। मंत्रालय में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अक्षरशः कार्यान्वयन किया जा रहा है।

12.3 निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा के माध्यम से निगरानी की जा रही है तथा समय–समय पर निरीक्षण करके उनकी निगरानी की जा रही है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाते हैं तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। वर्ष के दौरान मंत्रालय के सभी अनुभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

12.4 अनुवाद कार्य

मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल नोट, अधिसूचनाएं, सामान्य आदेश, निविदाएं, बजट संबंधी दस्तावेज, आउटपुट–आउटकम, अनुदान मांगें, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्न, संसदीय आश्वासन, स्थायी समितियों और अन्य संसदीय समितियों से संबंधित पत्र, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज और प्रेस विज्ञप्तियों जैसे दस्तावेजों का मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा नियमित रूप से अनुवाद किया जाता है।

12.5 हिन्दी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह

14–30 सितम्बर, 2023 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए हिंदी में निबंध, हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूपण, हिंदी टंकण, स्वरचित हिंदी कविता वाचन, राजभाषा का व्यावहारिक ज्ञान, हिंदी में सामान्य जागरूकता प्रतियोगिता के साथ–साथ चित्र पर आधारित कहानी लेखन एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी दिवस के अवसर पर मंत्रालय के डिस्प्ले बोर्ड पर माननीय गृह मंत्री का

सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी संदेश दिखाया गया। लिफ्ट लॉबी में मंत्रालय के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर 14 सितम्बर, 2023 को पुणे में आयोजित 'हिंदी दिवस' की झलक दिखाई गई तथा हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता की जानकारी तथा पिछले दिन आयोजित प्रतियोगिता की तस्वीर तथा प्रतियोगिता से संबंधित आवश्यक जानकारी डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से साझा की गई। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई गई जानकारी की तस्वीरः—

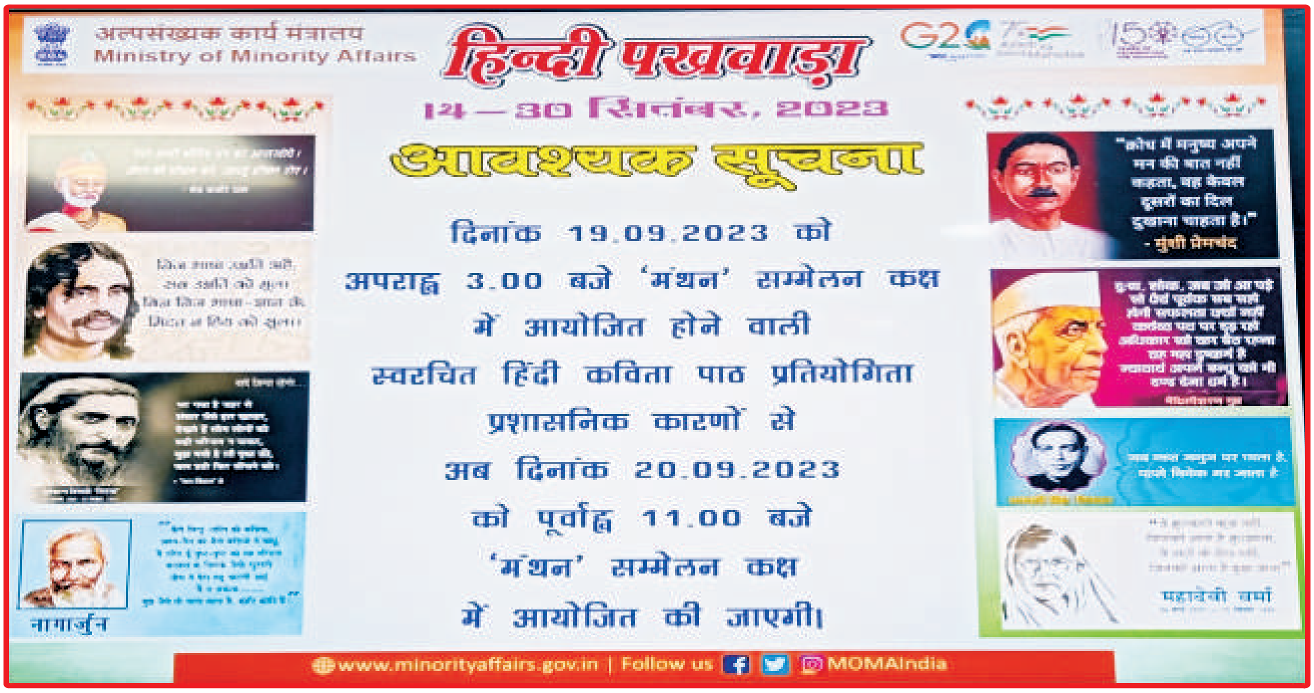

इस वर्ष हिन्दी पखवाड़े के दौरान 'पुस्तक प्रदर्शनी' का भी आयोजन किया गया तथा फूलों की रंगोली बनाने के साथ—साथ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

हिंदी पखवाड़ा—2023 के दौरान फूलों की रंगोली

हिंदी पखवाड़ा—2023 के दौरान आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी

हिंदी पखवाड़े के दौरान मंत्रालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंत्रालय के अपर सचिव श्री खिल्ली राम मीना द्वारा प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिंदी पखवाड़ा–2023 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर अपर सचिव का संबोधन

हिंदी पखवाड़ा–2023 के विजेता को नकद पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए अपर सचिव

हिंदी पखवाड़ा–2023 के विजेता को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए अपर सचिव

सितंबर 2023 माह में हिन्दी में अधिकतम कार्य करने वाले अनुभाग को "चल वैजयन्ती" शील्ड प्रदान की गई

मंत्रालय में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च 2023 में अनुभागों के लिए तथा अगस्त 2023 में हिंदी में अधिकतम पत्राचार करने वाले संबद्ध कार्यालयों को पुरस्कृत करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। समारोह के दौरान अपर सचिव (अ.का.) द्वारा विजेता अनुभागों/संबद्ध कार्यालयों को दीवार घड़ी/शील्ड प्रदान की गई। विजेता अनुभागों/संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण की कुछ झलकियाँ:–

12.6 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है। समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

12.7 हिंदी सलाहकार समिति

मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में 29.08.2023 को आयोजित की गई।

12.8 हिंदी कार्यशाला

मंत्रालय में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए प्रत्येक कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को सक्रिय चर्चा करने अथवा शंकाओं का समाधान करने का अवसर दिया जाता है।

"सरकार की राजभाषा नीति तथा अधिनियमों, नियमों एवं संविधान में हिंदी की स्थिति" विषय पर हिंदी कार्यशाला में भाग लेते अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी

"आधिकारिक अनुवाद की समस्याएं एवं समाधान" विषय पर हिंदी कार्यशाला में भाग लेते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी

अध्याय–13
स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों के अनुपालन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत कार्यालय और आस–पास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। एसएचएस के अलावा 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 भी मनाया गया। माननीय मंत्री (अ.का.) ने विशेष अभियान 3.0 में भाग लिया।

स्वच्छता ही सेवा (SHS) का आयोजन सीजीओ कॉम्प्लेक्स और आरके पुरम स्थित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कार्यालय समेत चार स्थानों में किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिसर को साफ–सुथरा बनाने के लिए उत्साहपूर्वक अभियान में भाग लिया।

अभियान के दौरान, मंत्रालय के भूतल पर स्थित स्टोर रूम की सफाई की गई और कबाड़ (स्क्रैप) का निपटान किया गया। मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए गए:

i. कार्यालय परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी विंगों में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान खिड़कियों के पर्दे बदलने, दीवारों की रंगाई–पुताई और भवन के फर्श की धुलाई जैसे कार्यकलाप किए गए;

ii. सभी प्रभागों ने वास्तविक फाइलों और दस्तावेजों को हटाने की गतिविधियों में भाग लिया, जिससे सभी कार्यस्थानों की सफाई हुई;

iii. 21 सितंबर 2023 को आर.के.पुरम में सफाई कार्यकलापों के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा श्रमदान (स्वैच्छिक रूप से) किया गया।

विशेष अभियान के दौरान प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

i. 14.09.2023 तक लंबित सभी 527 लोक शिकायतों और 126 पीजी अपीलों का निपटारा कर दिया गया।

ii. स्क्रैप / रद्दी सामग्री / कूड़े का निपटान करके लगभग 34000 वर्ग फुट स्थान खाली किया गया।

iii. विशेष अभियान 3.0 के दौरान 4 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्क्रैप निपटान से 74000/– रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। अभियान के दौरान 100% (610 में से 610) चयनित फाइलों का निपटान किया गया।

एसएचएस और स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 के दौरान चलाए गए स्वच्छता अभियान की कुछ झलकियां नीचे दी गई हैं:

9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) :

9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21.06.2023 को मनाया गया, जिसके अंतर्गत मंत्रालय द्वारा परिसर के पास के पार्क में एक घंटे का योग सत्र आयोजित किया गया। योग सत्र में मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया तथा योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग के विभिन्न आसन किए गए।

9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कुछ तस्वीरें इस प्रकार हैं:

अनुबंध

अनुबंध I

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 31.03.2024 तक का कार्यभार विवरण

क्र. सं.	पद / वेतन बैंड / ग्रेड वेतन / ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 17	01	01	00
2.	अपर सचिव / संयुक्त सचिव / ग्रुप 'ए' – लेवल 15 / 14	04	05*	–01
3.	उप महानिदेशक ग्रुप 'ए' – लेवल 14	01	01	00
4.	निदेशक / उप सचिव ग्रुप 'ए' – लेवल 13 / 12	13	12	01
5.	संयुक्त निदेशक ग्रुप 'ए' – लेवल 12	01	01	00
6.	अवर सचिव ग्रुप 'ए' – लेवल 11	13	12	01
7.	उप निदेशक ग्रुप 'ए' – लेवल 11	01	01	00
8.	संयुक्त निदेशक (रा.भा.) ग्रेड 'ए' – लेवल 12	01	00	00
9.	उप निदेशक (रा.भा.) ग्रेड 'ए' – लेवल 11	00	01#	–01
10.	सहायक निदेशक / ग्रुप 'ए' – लेवल 10	01	01	00
11.	अनुसंधान अधिकारी / ग्रुप 'ए' – लेवल 10	01	00	01
12.	सहायक निदेशक (राजभाषा) ग्रुप 'ए'– लेवल 10	01	01	00
13.	अनुभाग अधिकारी ग्रुप 'बी' – लेवल 8	19	17	02
14.	पीएसओ / वरिष्ठ पीपीएस ग्रुप 'ए' – लेवल 13 / 12	02	02	00
15.	प्रधान निजी सचिव ग्रुप 'ए' – लेवल 11	05	06	–01
16.	सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रुप 'बी' (अराजपत्र) – लेवल 7	14	11	03
17.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक ग्रुप 'बी' (अराजपत्र) – लेवल 6	02	02	00
18.	निजी सचिव ग्रुप 'बी' – लेवल 8	05	02	03
19.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी' / पीए / ग्रुप 'बी' (अराजपत्र)– लेवल 7	07	01	06
20.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ग्रुप 'बी' (अराजपत्र) – लेवल 7	01	01	00
21.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ग्रुप 'बी' (अराजपत्र) – लेवल 6	03	02	01
22.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी' ग्रुप 'सी' – लेवल 4	14	09	05
23.	स्टाफ कार चालक ग्रुप 'सी' – लेवल 2	02	02	00
24.	एमटीएस / जी.पी. ग्रुप 'डी' – लेवल 1	14	07	07
25.	वरिष्ठ अनुवादक (उर्दू) ग्रुप 'बी' (अराजपत्र) – लेवल 7	01	00	01
	कुल	**127**	**98**	**28**

*निदेशक के एक पद को संयुक्त सचिव के पद पर अपग्रेड किया गया है
#संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद के विरुद्ध समायोजित

मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (16.10.2024 तक)

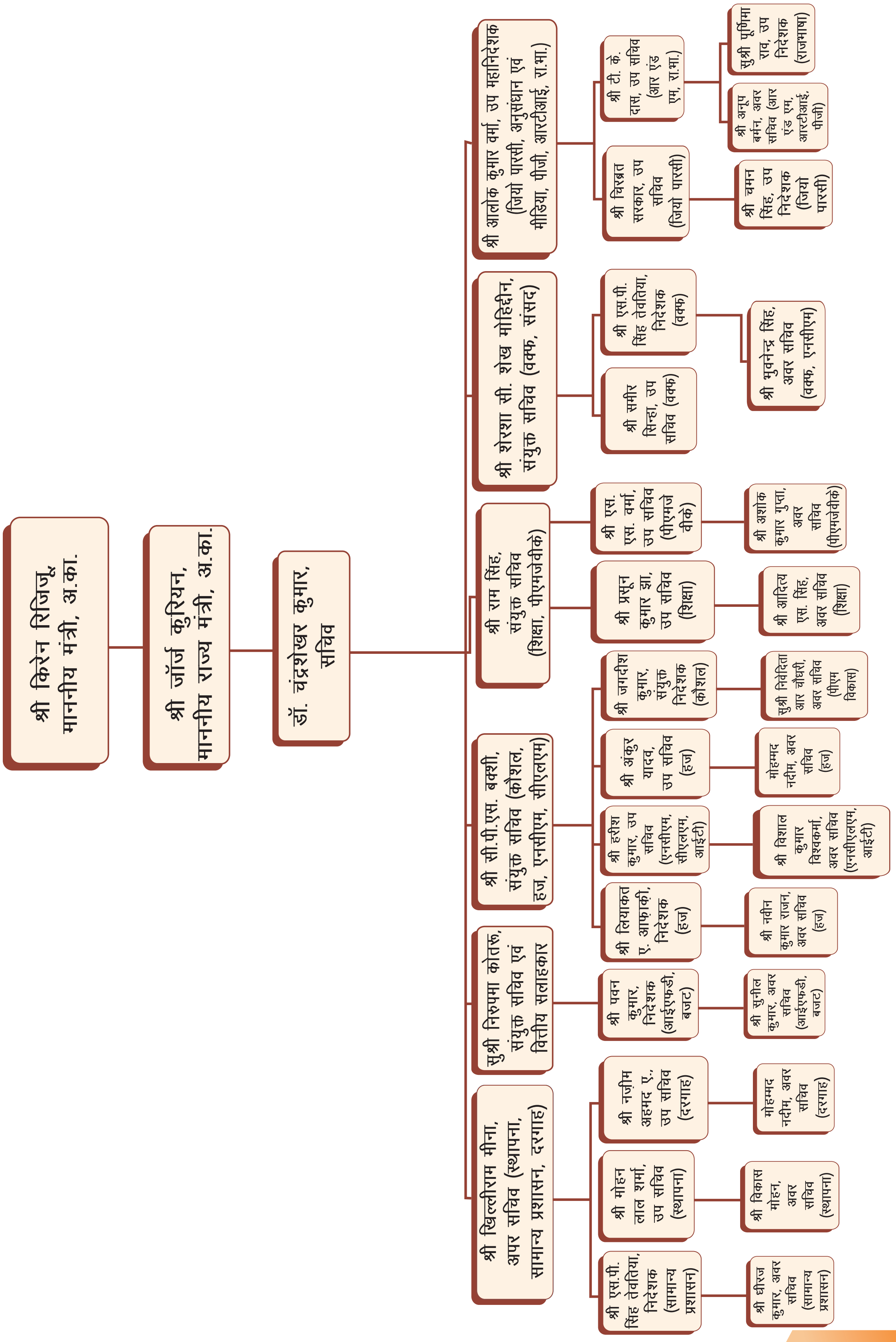

अनुबंध III

बजट अनुमान 2023–24 और 2025–26 दिखाने वाला विवरण
वास्तविक व्यय (31.03.2024 तक)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना / परियोजना / कार्यक्रम का नाम	बजट अनुमान 2023–24	संशोधित अनुमान 2023–24	31.03.2024 तक वास्तविक व्यय
1.	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	433.00	400.00	95.84
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1065.00	1000.00	85.02
3.	मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति	44.00	25.00	152.74
4.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	96.00	54.00	83.45
5.	अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता (पढ़ो परदेश)	21.00	7.00	0.00
6.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	30.00	14.00	11.70
7.	कौशल विकास पहल (सीखो और कमाओ)	0.10	0.00	0.00
8.	नई मंज़िल	0.10	0.00	0.00
9.	विकास के लिए पारंपरिक कलाओं / शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नोयन (उस्ताद)	0.10	0.00	0.00
10.	एनएमडीएफसी की इक्विटी में योगदान	61.00	61.00	61.00
11.	अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व क्षमता विकास की योजना (नई रोशनी)	0.10	0.00	0.00
12.	एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिए लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान	3.00	3.00	3.00
13.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पहले एमएसडीपी)	600.00	550.00	189.23
14.	हज प्रबंधन	97.00	86.69	83.51
15.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	15.00	13.50	12.18
16.	मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक योजना	10.00	5.00	0.01
17.	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	4.00	2.88	1.59
18.	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना	10.00	5.00	0.10
19.	शहरी वक्फ संपदा विकास योजना (पहले वक्फ को जीआईए)	7.00	3.00	0.00

क्र. सं.	योजना / परियोजना / कार्यक्रम का नाम	बजट अनुमान 2023–24	संशोधित अनुमान 2023–24	31.03.2024 तक वास्तविक व्यय
20.	अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, निगरानी एवं मूल्यांकन, प्रचार–प्रसार सहित	20.00	15.00	13.27
21.	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	0.10	0.00	0.00
22.	हमारी धरोहर	0.10	0.00	0.00
23.	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय (जियो पारसी) की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना	6.00	3.00	1.00
24.	सचिवालय	35.00	35.00	29.59
25.	पीएम विकास	290.15	109.88	0.00
26.	पीएम विकास की प्रतिबद्ध देयता	249.85	215.98	209.42
	कुल योग	**3097.60**	**2608.93**	**1032.65**

अनुबंध IV

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना–वार बजट आवंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2023–24	संशोधित अनुमान 2023–24
1.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	60.06	55.01
2.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	81.75	72.99
3.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	100.00	93.00
4.	अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति	4.00	4.00
5.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	7.00	4.00
6.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	1.00	0.50
7.	मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	0.96	0.45
8.	कौशल विकास पहल	0.02	0.00
9.	उस्ताद	0.04	0.00
10.	नई मंज़िल	0.01	0.00
11.	अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व क्षमता विकास हेतु योजना	0.01	0.00
12.	पीएम विकास	30.00	11.49
13.	पीएम विकास की प्रतिबद्ध देयता	24.85	20.00
	कुल	**309.70**	**261.44**

अनुबंध V

उस्ताद योजना के तहत आयोजित 41 हुनर हाटों की सूची

क्र.सं.	स्थान
1.	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दिल्ली [नवंबर 2016]
2.	बाबा खड़क सिंह मार्ग, दिल्ली [फरवरी 2017]
3.	पुडुचेरी [सितंबर 2017]
4.	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली [नवंबर 2017]
5.	इस्लाम जिमखाना, मुंबई, महाराष्ट्र [जनवरी 2018]
6.	बाबा खड़क सिंह मार्ग, दिल्ली [फरवरी 2018]
7.	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश [सितंबर 2018]
8.	पुडुचेरी [अक्टूबर 2018]
9.	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली [नवंबर 2018]
10.	बीकेसी, मुंबई, महाराष्ट्र [दिसंबर 2018]
11.	बाबा खड़क सिंह मार्ग, दिल्ली [जनवरी 2019]
12.	जवाहर कला केंद्र, जयपुर, राजस्थान [अगस्त–सितंबर 2019]
13.	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश [नवंबर 2019]
14.	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली [नवंबर 2019]
15.	अहमदाबाद, गुजरात [दिसंबर 2019]
16.	मुंबई, महाराष्ट्र [दिसंबर 2019]
17.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश [जनवरी 2020]
18.	हैदराबाद, तेलंगाना [जनवरी 2020]
19.	इंदौर, मध्य प्रदेश [फरवरी 2020]
20.	रांची, झारखंड [फरवरी–मार्च 2020]
21.	इंडिया गेट, दिल्ली [मार्च 2020]
22.	दिल्ली हाट पीतमपुरा, दिल्ली [नवंबर 2020]

क्र.सं.	स्थान
23.	रामपुर, उत्तर प्रदेश [दिसंबर 2020]
24.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश [जनवरी–फरवरी 2021]
25.	मैसूरु, कर्नाटक [फरवरी 2021]
26.	जेएलएन नई दिल्ली, दिल्ली [फरवरी – मार्च 2021]
27.	भोपाल, मध्य प्रदेश [मार्च 2021]
28.	गोवा [मार्च–अप्रैल 2021]
29.	रामपुर, उत्तर प्रदेश [अक्टूबर 2021]
30.	देहरादून, उत्तराखंड [अक्टूबर–नवंबर 2021]
31.	वृन्दावन, उत्तर प्रदेश [नवंबर 2021]
32.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश [नवंबर 2021]
33.	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली [नवंबर 2021]
34.	सूरत, गुजरात [दिसंबर 2021]
35.	जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली, दिल्ली [दिसंबर 2021– जनवरी 2022]
36.	पुडुचेरी [फरवरी 2022]
37.	हैदराबाद, तेलंगाना [फरवरी–मार्च 2022]
38.	गुवाहाटी, असम [मार्च 2022]
39.	चंडीगढ़, पंजाब [मार्च – अप्रैल 2022]
40.	मुंबई, महाराष्ट्र [अप्रैल 2022]
41.	आगरा, उत्तर प्रदेश [मई 2022]

अनुबंध VI

उस्ताद योजना के अंतर्गत शामिल शिल्प क्लस्टरों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	क्राफ्ट क्लस्टर	शिल्प का नाम
1	आंध्र प्रदेश	उदयगिरि	लकड़ी के कटलरी
2	आंध्र प्रदेश	निम्मालकुंटा	चमड़े की कठपुतली
3	असम	गोलाघाट	गोलाघाट के वस्त्र
4	बिहार	भागलपुर	भागलपुर बुनाई
5	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	तिब्बती कालीन
6	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	टिल्ला कढ़ाई
7		श्रीनगर	कागज से कलाकृतियां बनाना
8	कर्नाटक	बीदर	बिद्रीवेयर
9		चनापटना	चनापटना खिलौने
10		मैसूर	रोज़वुड इनले
11	केरल	बेपोर	लकड़ी का जहाज बनाना
12		कोडुंगल्लूर, थालायोलापरम्बु, थझावा	स्क्रूपाइन बेमींग
13	मध्य प्रदेश	महेश्वर	माहेश्वरी
14		भोपाल	भोपाली बटुआ
15	महाराष्ट्र	मुंबई	पारसी गारा
16	नगालैंड	दीमापुर	नागालैंड के वस्त्र
17		विस्वेमा	नागालैंड के लकड़ी की कलाकृति
18	पंजाब	पटियाला	फुलकारी
19		मलेरकोटला	टिल्ला और खोसा जट्टी
20		जंडियाला गुरु	ठठेरा / पीतल और कांस्य
21	राजस्थान	उदयपुर	एप्लिक / पैचवर्क
22		पिपर	ब्लॉक प्रिंटिंग
23		बीकानेर	उस्ता लेदर क्राफ्ट

क्र. सं.	राज्य	क्राफ्ट क्लस्टर	शिल्प का नाम
24	तमिलनाडु	पुलिकट	ताड़ के पत्तों की टोकरी
25	तेलंगाना	हैदराबाद	लाख की चूड़ियाँ
26	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	बनारस ब्रोकेड
27		लखनऊ	हड्डी पर नक्काशी
28		लखनऊ	चिकनकारी
29		लखनऊ	कामदानी
30		फिरोजाबाद	ग्लास फ्लेमवर्क
31		वाराणसी	सॉफ्ट स्टोन
32	पश्चिम बंगाल	बारासात और बीरभूम	कांथा
33	गोवा	पणजी	क्रोशै
34	लद्दाख	लिकिर, लेह	लिकिर पोटरी
35	मणिपुर	नुंगबी	ब्लैक पोटरी

अनुबंध VII

महत्वपूर्ण संक्षिप्त शब्द और उनके पूर्ण रूप

संक्षिप्त शब्द	पूर्ण रूप
15 PP	15 सूत्री कार्यक्रम
CCF	केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सुविधा
CGI	भारतीय वाणिज्य दूतावास
CGOs	केंद्रीय सरकारी संगठन
CLM	आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक
CSR	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
CVO	मुख्य सतर्कता अधिकारी
CWC	केंद्रीय वक्फ परिषद
DARPG	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
DBT	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
DKS	दरगाह ख्वाजा साहब
HCoI	भारतीय हज समिति
HGOs	हज समूह आयोजक
IBA	भारतीय बैंक संघ
MAEF	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान
MCDs	अल्पसंख्यक बहुल जिले
MsDP	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
NCM	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
NET	राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा
NGOs	गैर–सरकारी संगठन
NID	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
NIFT	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
NMDFC	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

संक्षिप्त शब्द	पूर्ण रूप
NSP	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
PM VIKAS	प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन
PMEES	प्रधानमंत्री शैक्षिक सशक्तीकरण योजना
PMJVK	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
QWBTS	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना
SCAs	राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियां
SHGs	स्वयं सहायता समूह
SNA	एकल नोडल एजेंसी
SPEMM	मदरसों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए योजना
SPQEM	मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना
SRC	राज्य पुनर्गठन आयोग
SWB	राज्य वक्फ बोर्ड
UGC	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
USTTAD	विकास के लिए पारंपरिक कला / शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन
WAMSI	भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली

सत्यमेव जयते

Annual Report 2023-24

Government of India

Ministry of Minority Affairs

Website : https://minorityaffairs.gov.in

Contents

Sr. No.	Chapter	Page No.
#	Executive Summary	1
1	Introduction	3
2	Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)	7
3	Educational Empowerment Initiatives	12
4	Skilling and Livelihood Initiatives	15
5	Special Initiative: Jiyo Parsi Scheme	19
6	Haj Management	20
7	National Commission for Minorities (NCM)	24
8	Commissioner for Linguistic Minorities	25
9	National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)	26
10	Waqf Administration, Central Waqf Council	30
11	Dargah Khwaja Saheb, Ajmer	34
12	Official Language	37
13	Swachhata Hi Sewa (SHS) Campaign, Swachhata Special Campaign 3.0 & International Day of Yoga	41
ANNEXURES		
1	ANNEXURE I	44
2	ANNEXURE II	45
3	ANNEXURE III	46
4	ANNEXURE IV	48
5	ANNEXURE V	49
6	ANNEXURE VI	51
7	ANNEXURE VII	53

Executive Summary

The Ministry of Minority Affairs was established in January 2006 and is mandated for formulation of policies, schemes and programmes for welfare and socio-economic development of 6 (six) notified minority communities namely, Buddhists, Christians, Jains, Muslims, Parsis and Sikhs which constitute around 20% of India's population. The term "Minority" is not used in Census. However, data on all religions as reported by the people of India are collected in each Census. The last Census was conducted in 2011 and the population of Sikh, Christian, Jain, Parsi, Buddhist and Muslim of India as per Census 2011 is given below:

Muslim	Christian	Sikh	Buddhist	Jain	Parsi
17,22,45,158 (14.2%)	2,78,19,588 (2.3%)	2,08,33,116 (1.7%)	84,42,972 (0.7%)	44,51,753 (0.4%)	57,264 (0.005%)

Some of the key initiatives of the Ministry are:

I. The Ministry has adopted a multi-pronged strategy for development of minority communities with special focus on educational empowerment; infrastructure development; economic empowerment; fulfilling special needs; and strengthening of minority institutions.

II. The welfare and development schemes of the Ministry focus on poor and deprived sections of the minorities. Majority of the schemes have devised the eligibility criteria keeping in view the economic background to ensure that the benefits reach the poor and deprived sections.

III. **Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK),** a Centrally Sponsored Scheme of the Ministry provides for development of infrastructure projects in Education, Health, Skill Development Sectors and Women-centric projects, for improving the socio-economic conditions of people in the identified areas.

During FY 2023-24 an amount of Rs.187.88 crore has been released both for new as well as ongoing projects under the scheme.

The horizon of PMJVK scheme has further enlarged whereby requisite infrastructure has been sanctioned for minorities for preservation of their unique culture and identity.

Buddhist Development Plan (BDP) addresses the diverse needs of the Buddhist population and advances their social and economic progress. The plan spans infrastructural development in various sectors like Education, Health, Sports, Renewable Energy, and Tourism etc.

To aid in the preservation of Cultural Heritage and language of Parsis, Ministry of Minority Affairs has sanctioned '**The Centre for Avesta Pahlavi Studies**' at Mumbai University amounting to Rs. 11.17 crore.

Ministry has agreed in-principle the setting up of '**Centre of Gurumukhi Script at Khalsa College**' at University of Delhi amounting to Rs. 25 crore, for the Sikh community

emphasising on the integral importance of the language in preserving essence of the cultural equilibrium of the community.

IV. The Ministry has designed a new, integrated scheme called **Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS),** which is an umbrella scheme converging five of the existing schemes of the Ministry namely – Seekho Aur Kamao, Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts / Crafts for Development (USTTAD), Hamari Dharohar, Nai Roshni and Nai Manzil. The total expenditure under the scheme for the year 2023-24 was Rs. 209.42 crore.

V. The Ministry of Minority Affairs implements three scholarship schemes namely Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship Schemes for the educational empowerment of notified minority communities. The schemes intend to lower the financial burden of financially weaker sections of religious minority communities. As part of an overall exercise to harmonize all the scholarship schemes of various Ministries/ Departments, the schemes will be brought under the ambit of an umbrella scheme namely, **Pradhan Mantri Educational Empowerment Scheme (PMEES)** for the remaining period of 15th Finance Commission Cycle. The total expenditure under the scheme for the year 2023-24 was Rs. 333.60 crore.

VI. **Jiyo Parsi** is a Central Sector Scheme concerning the decline of Parsi population in India. The scheme has three components, Medical Assistance, Advocacy and Health of Community. Since inception, the scheme has enabled birth of more than 400 Parsi children till 31.03.2024.

VII. The **National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC)** was incorporated on 30.09.1994 as a 'Not for Profit' company under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now Section 8 of Companies Act, 2013). NMDFC provides concessional credit viz., Term Loan, Education Loan, Micro Finance & Virasat implemented through the State Channelizing Agencies (SCAs) for self-employment and income generating activities for the socio-economic development of the 'backward sections' amongst the notified Minorities.

During the FY 2023-24, NMDFC has extended credit amounting of Rs. 765.45 crore to over 1.84 lakh beneficiaries.

VIII. The Ministry is the nodal ministry for the management of the **Haj Pilgrimage**. The Haj application process has been made 100% online. For Haj 2024, the Kingdom of Saudi Arabia allocated a quota of 1,75,025 pilgrims to India.

Chapter-1
Introduction

The Ministry of Minority Affairs was carved out of the Ministry of Social Justice and Empowerment on 29.01.2006 with a vision to ensure a more focused approach towards issues relating to the six notified minority communities namely Jains, Parsis, Buddhists, Sikhs, Christians, and Muslims. The mandate of the Ministry of Minority Affairs includes formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation, and review of the regulatory and development programmes for the benefit of the minority communities.

1.1. Vision and Mission

The vision of this Ministry is to empower the minority communities and to create an enabling environment for strengthening the multi-racial, multi-ethnic, multi-cultural, multi-lingual and multi-religious character of our nation. The mission is to improve the socio-economic conditions of the minority communities through affirmative action and inclusive development so that every citizen has an equal opportunity to participate actively in building a dynamic nation, to facilitate an equitable share for minority communities in education, employment, economic activities and to ensure their upliftment.

1.2. About the Ministry

Shri Kiren Rijiju is the Hon'ble Cabinet Minister for the M/o Minority Affairs and Shri George Kurian is the Hon'ble Minister of State for the M/o Minority Affairs. The Secretary of the Ministry is assisted by Additional Secretary, Joint Secretaries, Financial Adviser and Deputy Director General. The Ministry has a sanctioned strength of 127 Officers/ Staff and currently, 98 Officers/ Staff are in position as on 31.03.2024. The incumbency statement of the Ministry is given at Annexure I and the Organization Chart at Annexure II. The Ministry undertakes most of the multifaceted tasks on its own. Additionally, it is supported by offices/organizations under its administrative control.

1.3. Allocation of Business

Subjects allocated to this Ministry as per Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 are:

i. Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and developmental programmes of the minority communities;

ii. All matters relating to minority communities except matters relating to law and order;

iii. Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Governments;

iv. Matters relating to linguistic minorities and of the office of the Commissioner for Linguistic Minorities;

v. Matters relating to the National Commission for Minorities Act;

vi. Work relating to the evacuee Waqf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed);

vii. Representation of the Anglo-Indian Community;

viii. Protection and preservation of non-Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs;

ix. Questions relating to the minority communities in neighbouring countries, in consultation with the Ministry of External Affairs;

x. Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department;

xi. Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities; minority organisations, including the Maulana Azad Education Foundation;

xii. The Waqf Act, 1995 (43 of 1995) and Central Waqf Council;

xiii. The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955);

xiv. Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation;

xv. Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector;

xvi. Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments;

xvii. National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities;

xviii. All matters relating to the Justice Sachar Committee;

xix. Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities;

xx. Management of Haj Pilgrimage, including administration of the Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959) and the rules made thereunder;

xxi. Any other issue pertaining to the minority communities.

1.4. Associated Organizations under the aegis of the Ministry

i. Constitutional and Statutory Bodies

- Central Waqf Council (CWC)
- National Commission for Minorities (NCM)

- Commissioner for Linguistic Minorities (CLM)
- Haj Committee of India (HCoI)

ii. PSU and Joint Venture

- National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)

iii. Organizations under the aegis of Ministry

- Durgah Khwaja Saheb Ajmer
- National Waqf Development Corporation Ltd. (NAWADCO)

1.5. Vigilance Unit

An Additional Secretary/ Joint Secretary is acting as part-time Chief Vigilance Officer (CVO) for the Ministry and is acting as a link between the Ministry and the Central Vigilance Commission (CVC). The CVO looks after the vigilance work in addition to his normal duty as Additional Secretary / Joint Secretary in the Ministry.

The CVO is entrusted with the following tasks:

i. All vigilance and disciplinary matters relating to the Ministry;

ii. Scrutiny of complaints as and when received and taking appropriate action thereon;

iii. Enquiry/ investigation/ inspection and follow up action on the same;

iv. Coordinating with the Central Vigilance Commission;

v. Obtaining of advice from CVC as and when required;

vi. Identification of sensitive areas prone to corruption and transferring of officers in such positions from time to time, thus promoting preventive vigilance; and

vii. Augment integrity, efficiency and transparency in the functioning of the Government.

Vigilance Clearance has been issued to 80 officials during the period under report.

1.6. Use of Official Language

i. In order to ensure the compliance of Government of India's Official Language Policy in the Ministry of Minority Affairs and in offices under its administrative control, a group of officers is monitoring progressive usage of Hindi in the Ministry;

ii. During the year, all requisite documents were issued bilingually, and letters received in Hindi were replied to in Hindi. In addition, all translation work from English to Hindi was done for the Standing Committee documents, official letters, RTI letters and various Committee reports;

iii. Guidelines of all welfare schemes of the Ministry have been made available in Hindi as well. Various check points have been made for compliance of Official Languages Act and its provisions; and

iv. Hindi Pakhwada was celebrated in the Ministry during 14-30 September, 2023. To promote usage of Hindi in the official work and to motivate officers/employees, competitions such as essay in Hindi, noting and drafting in Hindi, Hindi typing, self-written Hindi poem recitation, practical knowledge of Official Language, general awareness in Hindi competition as well as story writing based on picture and speech competitions were organized.

1.7. Citizen's Charter & Grievance Redressal

i. The Citizen's Charter of the Ministry is uploaded on the Ministry's website;

ii. A web-link to the CPGRAMS portal of DARPG i.e. www.pgportal.gov.in is available on the website of the Ministry; and

iii. It has been the endeavour of the Ministry to ensure expeditious redressal of grievances.

1.8. Right to Information Act

i. In order to facilitate dissemination of information under the provisions of the Right to information Act, 2005, Ministry of Minority Affairs has an RTI Cell. The RTI Cell supervises and monitors the applications & appeals received under the RTI Act, 2005. The RTI Cell also submits quarterly returns regarding receipt and disposal of the RTI applications/appeals to the Central Information Commission;

ii. The list of CPIOs and First Appellate Authorities is regularly updated based on work allocation on the website of Ministry for public information;and

iii. During the year 2023-24, 2515 RTI applications and 143 appeals were received in the Ministry till 31st March, 2024.

1.9. Budget

The revised budget allocation to the Ministry of Minority Affairs for various schemes and programmes for 2023-24 is Rs. 2608.93 crore. A statement showing Budget Estimates, Revised Estimates 2023-24 and actual expenditure up to 31.03.2024 is at Annexure III. Scheme-wise budget allocation for North-Eastern Region is at Annexure IV.

Chapter-2
Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)

2.1 Launched in 2008-09 as Multi-sectoral Development Programme (MsDP), a Centrally Sponsored Scheme, which was restructured as Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) in 2017-18, PMJVK is an area development programme under which community infrastructure and basic amenities are being created in the identified areas across the country with the objective of improving the life quality of the people in the identified areas and thereby reducing imbalances in comparison to the national average. In the year 2022, the scheme has been revised and approved by the Cabinet for continuation over the 15th Finance Commission Cycle i.e., during FY 2021-22 to 2025-26.

2.2 The thrust areas under PMJVK are education, health, skill development and women centric projects. Emerging sectors of national importance like sports, drinking water & sanitation, solar energy etc. are also considered under the scheme. The type of works undertaken under PMJVK include construction of schools, additional classrooms, hostels, computer labs/digital classrooms, science laboratories in schools, drinking water facilities and toilets in schools, colleges, dispensaries, hospitals, Industrial Training Institutes (ITIs), Polytechnics, working women hostels, construction of Anganwadi centres, sports facilities, public/community toilets etc.

2.3 No individual beneficiary-oriented projects are sanctioned under the scheme. The projects approved are all community assets especially in the priority sectors and are accessible for use of all the people living in the catchment area.

2.4 Around 80% of the resources under the programme are allocated for education, health and skill development. Efforts are made for allocation of at least 33-40% of resources for women centric projects.

2.5 The scheme is being implemented under the aegis of the State Governments/ Union Territory Administrations (UTAs) on a fund sharing pattern.

2.6 The infrastructure projects under PMJVK can be proposed by the States/ UTs/ Central Government Organisations (CGOs) in the district where the concentration of minority population is more than 25% in the catchment area (15 Km radius). The process of identification of the location of the project has been decentralized and the State Level Committee/ Central Government Organisation certifies that the project is located in an area where minority population is more than 25%.

2.7 The proposals under PMJVK are sent by the States/Union Territories (UTs) with the approval of the State Level Committee as per demand for infrastructure in the identified areas, which are considered and approved by the Empowered Committee (EC) of PMJVK, after due

consultation with the concerned Central Ministries. The Central Government Departments/ Organizations including Central Armed Police Force, Central Universities, etc. submit their proposals to the Ministry through their parent Department/ Ministry.

2.8 Land for the projects under PMJVK is provided free of cost by the concerned State Government/ UT Administration / Central Government Organisation The projects under the PMJVK are implemented, operationalised, managed, and maintained by the State Government/ UT Administration/ Central Government Organisations. The Central Government does not bear any recurring and/or maintenance cost of the projects under PMJVK. It is the responsibility of the State Government/ UT Administration to run and maintain the project over its lifetime. The assets created under the PMJVK scheme cannot be transferred to any outside agency.

2.9 Budget allocation & expenditure since 2014-15

(Rs. in crore)

Year	Allocation (BE)	Allocation (RE)	Expenditure
2014-15	1250.00	770.94	768.20
2015-16	1251.64	1126.64	1120.73
2016-17	1125.00	1059.00	1082.78
2017-18	1200.00	1200.00	1197.66
2018-19	1320.00	1320.00	1156.06
2019-20	1470.00	1588.86	1698.29
2020-21	1600.00	971.38	1091.94
2021-22	1390.00	1199.55	1266.87
2022-23	1650.00	500.00	222.67
2023-24	600.00	550.00	188.91

2.10 Monitoring Mechanism

There exists a robust mechanism for monitoring of projects under the PMJVK. Besides the normal channel of monitoring through the Block Level Committee, District Level Committee and State Level Committee, the Ministry of Minority Affairs continuously reviews the progress of construction and commissioning of the projects. Such reviews are conducted during the Empowered Committee meetings with the State authorities, through written communications to the State Governments/ UT Administrations, through conferences/ meetings/ discussions with the States/ UT Administrations and visits by officers from the Ministry.

The monitoring mechanism has been further strengthened by setting up a Project Management Unit at MoMA, establishment of PMJVK Web Portal and inclusion of Online Monitoring via Geo-tagging of PMJVK assets through BHUVAN application of NRSC-ISRO for real time monitoring of the projects under PMJVK.

2.11 Progress during 2023-24 (as on 31.03.2024)

Financial progress: In the financial year 2023-24, an amount of Rs. 187.88 crore (upto 31.03.2024) was released as instalments of Central Share. After introduction of SNA model under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) as per the revised guidelines of D/o Expenditure for release of funds to the States under Centrally Sponsored Schemes, all the States/ UTs implementing the PMJVK scheme have designated State Nodal Agencies (SNAs) and opened dedicated bank accounts of the SNAs. Funds under PMJVK are being released strictly as per the guidelines of Department of Expenditure. Approval of new projects and release of funds has been linked to the progress of implementation of projects already approved in the States, pace of expenditure, pending Utilisation Certificates (UCs), unspent balance available with the State Governments and geo-tagging of PMJVK assets. The data regarding physical and financial progress of the scheme was being reconciled with the State Governments and they have been advised to first utilise the unspent balance available in the SNA accounts to complete the ongoing projects. Detailed guidelines were issued to the States regarding utilisation of unspent balance available in the SNA accounts of the scheme.

2.12 Progress since 2014-15 till 31.03.2024

(a) Financial progress: A total budgetary allocation of Rs.10286.37 crore was made available for implementation of the programme since 2014-15. Plans/ projects of the States/UTs/CGOs having total project cost of Rs.17915 crore with Central share of Rs.12718 crore have been approved during the period. An expenditure of Rs.10014.11 crore has been incurred under the scheme during this period.

(b) Physical progress: Since 2014-15 a total number of 5,63,969 units worth total cost of Rs.17915 crore have been approved under PMJVK till 31.03.2024. These include 1589 school buildings, 177 residential school, 23103 additional classrooms/ library/ lab/ hall in schools, 14758 smart classroom/ computer lab/ teaching aid in school, 8358 toilets/ other infrastructure in schools, 710 hostel for school/ ITI/ polytechnic, 41 colleges, 31 additional infrastructure in colleges, 113 ITI/ additional infrastructure for ITI, 16 polytechnic/ additional infrastructure for existing polytechnic, 2173 health projects, 27 skill centres, 9 hunar hubs, 27 working women hostel, 6129 Anganwadi centres (AWCs), 1169 community service centre/ sadbhav mandap/ community hall, 79 sports projects, 17414 drinking water projects, 11628 IAYs.

2.13 Ministry of Minority Affairs envisions developing a policy for preservation as well as promotion of Minority Culture, Languages and Literature, thereby working towards acknowledging the unique historical importance of each minority and ensuring that the associated culture and heritage is safeguarded from being marginalized. Thus, initiative for preservation of cultural heritage and addressing social and economic needs of minority communities was undertaken by leveraging community outreach, robust stakeholders' engagement, and effective mobilization.

(a) Buddhist Development Plan (BDP) projects

Buddhist Development Plan (BDP) addresses the diverse needs of the Buddhist population and advances their social and economic progress. The plan spans infrastructural development in various sectors like Education, Health, Sports, Renewable Energy, and Tourism etc. The projects include a wide variety -ranging from providing infrastructural facilities in Buddhist schools/colleges, providing safe drinking water supply, enhancing sports facilities for youth etc.

Through this project MoMA has tried to cover majorly the Himalayan belt starting from Ladakh to Sikkim. It has also covered area of UT of Delhi. Further, other departments/institutes teaching/working for Buddhist welfare may develop similar projects and these may be operated as a hub and spoke model with Central Institute of Buddhist Studies (CIBS) being the hub.

As a primary step, projects have been approved for Sikkim, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Uttarakhand and Ladakh and three CGOs namely, Delhi University, Central Institute of Himalayan and Cultural Studies (CIHCS) and Central Institute of Buddhist Studies (CIBS) under the Buddhist Development Plan. The total estimated cost of these projects is Rs.300.17 crore. These States/UTs/CGOs would act as the primary agents for project implementation and supervision.

(b) Non-BDP projects

Project for Parsis: To aid in the preservation of Cultural Heritage and language of Parsis, Ministry of Minority Affairs has sanctioned 'The Centre for Avesta Pahlavi Studies' at Mumbai University amounting to Rs. 11.17 crore.

Gurumukhi Centre for Sikh Community: In collaboration with Delhi Sikh Gurudwara Management Committee (DSGMC) MoMA has agreed in-principle the setting up of 'Centre of Gurumukhi Script at Khalsa College' at University of Delhi amounting to Rs. 25 crore, for the Sikh community emphasising on the integral importance of the language in preserving essence of the cultural equilibrium of the community.

Projects for Jain community: For focussing on Jain Communities, MoMA has agreed in-principle two projects, 'Establishment of Centre for Jain Studies in Devi Ahilya

Vishwavidyalaya (DAVV), Indore Campus' Madhya Pradesh and 'Centre of Jain Manuscriptology' in Gujarat University both amounting to total estimated cost of Rs.65 crore.

Sadbhav Mandap: Barkhetri Development Block, Nalbari, Assam

Moraji Desai Residential PU College, Arekeri, Vijaypur Town, Karnataka

Primary Health Centre in Niuland, Nagaland

Model Residential School at Saitu, Kangpokpi District

Chapter-3
Educational Empowerment Initiatives

The Ministry of Minority Affairs implements three scholarship schemes namely Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship Schemes for the educational empowerment of the six centrally notified minority communities viz. Buddhist, Christian, Jain, Muslim, Parsi and Sikh. The schemes intend to lower the financial burden of financially weaker sections of religious minority communities. As part of an overall exercise to harmonize all the scholarship schemes of various Ministries/ Departments, the schemes will be brought under the ambit of an umbrella scheme namely, Pradhan Mantri Educational Empowerment Scheme (PMEES) for the remaining period of 15th Finance Commission Cycle.

3.1 Scholarship Schemes

The Ministry is implementing the following three scholarship schemes for the educational empowerment of the minority students:

a) Pre-Matric Scholarship Scheme;

b) Post-Matric Scholarship Scheme; and

c) Merit-cum-Means based Scholarship Scheme.

All the above scholarship schemes of the Ministry are implemented through a revamped version of the National Scholarship Portal (NSP-2.0). The scholarship amount is transferred to the bank accounts of students through Direct Benefit Transfer (DBT) mode.

a) Pre-Matric Scholarship Scheme

The Pre-Matric Scholarship Scheme for students belonging to the minority communities was approved in January 2008 as a Central Sector Scheme. As part of the scheme, the students studying in India in a Government/ recognised private school, securing at least 50% marks in the previous final year examination and whose parents' or guardians' annual income does not exceed Rs. 1.00 lakh are eligible for award of the Pre-Matric scholarship. The Right to Education (RTE) Act, 2009 makes it obligatory for the Government to provide free and compulsory elementary education (classes I to VIII) to each and every child. Hence, only students studying in classes IX and X are covered under the Pre-Matric Scholarship Scheme of other Ministries/Departments. Likewise from 2022-23, the coverage under the Pre-Matric Scholarship Scheme of Ministry of Minority Affairs has also been restricted to class IX and X only.

b) Post-Matric Scholarship Scheme

The Post-Matric Scholarship Scheme was launched in November 2007 as a Central Sector Scheme. Post Matric Scholarship is awarded to minority community students of Government/ recognised private higher secondary schools/ colleges/ Universities including residential higher secondary schools/ colleges of India. The Post-Matric Scholarship Scheme covers class XI to Ph.D.

Students securing at least 50% marks in the previous year's final examination and whose parents'/ guardians' annual income does not exceed Rs. 2.00 lakh are eligible for a scholarship under the scheme.

The Begum Hazrat Mahal National Scholarship Scheme (BHMNS), which was only for girl child of class IX to XII has been subsumed with Pre-Matric and Post-Matric schemes, since 2022-23.

c) Merit-Cum-Means based Scholarship Scheme

The Merit-cum-Means based Scholarship Scheme is a Central Sector Scheme, launched in 2007. Scholarships are awarded for pursuing professional and technical courses at under-graduate and post-graduate levels, in institutions recognized by the appropriate authority.

The students, who have secured admission in any technical or professional institution, recognized by an appropriate authority are eligible under this scheme. In case of students admitted without a competitive examination, students should have secured at least 50% marks in the final of qualifying exam at higher secondary/graduation level in case of fresh scholarship. The parents'/guardians' annual income from all sources should not exceed Rs. 2.50 lakh.

Eligible students admitted in any of the 85 reputed premier institutes for professional and technical courses listed under the scheme are reimbursed the full course fee.

3.2 Maulana Azad National Fellowship Scheme

The Maulana Azad National Fellowship (MANF) scheme for minority students was launched in 2009-10 as a Central Sector Scheme. The objective of the scheme was to provide fellowships in the form of financial assistance to students belonging to the minority communities to pursue degrees in higher education such as M.Phil. and Ph.D. in India. Minority students who cleared UGC-NET or Joint CSIR-UGC-NET examination were eligible for applications under Maulana Azad National Fellowship. The fellowship amount to the selected candidates was disbursed in Direct Benefit Transfer (DBT) mode and credited directly into the account of the beneficiary.

The scheme has been discontinued from 2022-23 due to its apparent overlapping with similar schemes of other Ministries. The fellowship to existing beneficiaries would continue till the completion of their studies as per extant guidelines.

3.3 Padho Pardesh - Interest Subsidy Scheme

The scheme aims to award interest subsidy on educational loan to minority students for studying abroad to pursue approved courses of study at Masters, M.Phil. and Ph.D. levels. Interest payable by the students, who have availed loan from a scheduled bank under the Education Loan Scheme of the Indian Banks' Association (IBA), for the period of moratorium (i.e. course period, plus one year or six months after getting job, whichever is earlier) was borne by the Government of India.

The scheme has been discontinued from FY 2022-23 as education loan is available at cheaper rates through various other Government interventions. The scheme continues to provide the benefits to the existing beneficiaries till the completion of their term.

Chapter-4
Skilling and Livelihood Initiatives

4.1 Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS)

Ministry has designed an integrated scheme called Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS), an umbrella scheme converging five existing schemes of the Ministry namely - Seekho Aur Kamao, Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts / Crafts for Development (USTTAD), Hamari Dharohar, Nai Roshni and Nai Manzil. The scheme shall assist the socio-economically disadvantaged groups within the community to make space for themselves in national growth story and will also cater to beneficiaries from other socially disadvantaged communities thereby promoting communal and social harmony in the larger spirit of “Sabka Sath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas”.

The scheme has been planned to be implemented across following four components:

i. Component 1 – Modern Skilling

ii. Component 2 – Traditional Training

iii. Component 3 – Women Leadership and Entrepreneurship

iv. Component 4 – Education Support (through National School of Open Schooling)

The scheme shall also integrate credit linkages through NMDFC as part of its benefits.

The Ministry has undertaken multiple consultative meetings with representatives from Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), National Skills Development Corporation (NSDC), National Council for Vocational Education (NCVET), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (M/o MSME), National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC), National Institute of Open Schooling (NIOS), Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council (MEPSC) for implementation of the PM VIKAS scheme. Additionally, consultative meetings have also been undertaken with the representatives from Ministry’s Knowledge Partners including National Institute for Design (NID), National Institute of Fashion Technology (NIFT), and Export Promotion Council of Handicrafts (EPCH) for supporting traditional artisans under the PM VIKAS scheme.

The Cabinet approval of the PM VIKAS scheme enables clearance of the committed liabilities of the earlier Skilling and Education schemes of the Ministry. In FY 2023-24, the Ministry undertook an expenditure of Rs. 209.42 crores for clearance of the past/committed liabilities, as per details below:

(Rs. in crore)

Financial Year	Budget Estimates	Revised Estimates	Actual Expenditure
2023-24	249.85	215.98	209.42

The details of the erstwhile schemes of the Ministry, now converged under PM VIKAS, are as follows:

4.2 Seekho Aur Kamao - Skill Development Initiative for Minorities

'Seekho Aur Kamao' was launched as a placement-linked, skill development scheme in September 2013, for youth belonging to the six notified minority communities in India.

The scheme targeted to upgrade the skills of minority youth (14-45 years) in various modern/ traditional skills depending upon their qualification, prevailing economic trends, and market potential, that could earn them suitable employment or make them suitably skilled to take up self-employment. Since inception, over 4.68 lakh beneficiaries have been trained under the scheme.

The expenditure incurred under the scheme in the last five years is as follows:

(Rs. in crore)

Financial Year	Budget Estimates	Actual Expenditure
2018-2019	250.00	175.73
2019-2020	250.00	175.52
2020-2021	250.00	190.03
2021-2022	276.00	268.48
2022-2023	235.41	65.28

4.3 Nai Manzil

The Nai Manzil scheme aimed at reaching out to the school dropouts among the minority youth and providing them with formal education through open schooling certification of class (OBE) 8th / 10th and NSQF-compliant skilling for minimum 3 months, to enable them to seek better employment and livelihood opportunities. The beneficiaries included those who have been educated in community education institutions like Madarsas or students not having formal school leaving certificate among others.

The Nai Manzil scheme has been the first World Bank initiated programme for the Ministry and was funded with 50% contribution from the World Bank. The scheme has covered over 98,000 beneficiaries.

The expenditure made under Nai Manzil in the last five years is provided below:

(Rs. in crore)

Financial Year	Budget Estimates	Actual Expenditure
2018-2019	140.00	93.73
2019-2020	140.00	34.44
2020-2021	120.00	59.84
2021-2022	87.00	48.86
2022-2023	46.00	7.62

4.4 Nai Roshni – Scheme for Leadership Development of Women

The Nai Roshni scheme has been a unique women leadership development programme launched in FY 2012-13. The objective of the scheme was to empower and instil confidence among minority women, including their neighbours from other communities, by providing knowledge, tools, and techniques for interacting with government systems, banks, and other institutions at all levels. Over 4.35 lakh beneficiaries have been trained under the scheme.

The targeted women beneficiaries were trained in various leadership training modules covering issues such as life skills, financial literacy, digital literacy, water, sanitation, hygiene, legal rights and entitlements, through a 6-day modular training.

4.5 USTTAD - Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/ Crafts for Development

USTTAD scheme launched in 2015, aimed at capacity building and upgradation of the traditional skills of master craftspeople and artisans; documentation of identified traditional arts/crafts of minorities; set standards of traditional skills; training of minority youths in various identified traditional arts and crafts through master craftspeople; develop national and international market linkages; and preservation of languishing arts and crafts. Since inception, over 21,000 beneficiaries have been trained under the scheme.

41 Hunar Haats were conducted under the USTTAD scheme. The details of the same may be seen at Annexure V.

The Ministry also engaged institutions such as, National Institute of Fashion Technology (NIFT), National Institute of Design (NID) and Indian Institute of Packaging (IIP) to work in various craft clusters for design intervention; product range development; packaging; exhibitions, tying up with e-marketing portals to enhance sales; and brand building.

A total of 130 design and development workshops have been conducted by knowledge partners across 35 artisans craft clusters spanning different states in the country. Details of craft clusters covered under the USTTAD scheme are given at Annexure VI.

Workshop for Likir Pottery cluster in Leh – Ladakh by NID

Workshop for Crochet cluster of Goa at NID Campus

Workshop for Applique Patchwork of Udaipur, Rajasthan by NIFT

Beneficiaries of workshop for Wooden Cutlery cluster of Udayagiri, Andhra Pradesh by NIFT

The expenditure made under USTTAD in the last five years is below:

(Rs. in crore)

Financial Year	Budget Estimates	Revised Estimates	Actual Expenditure
2018-2019	30.00	50.00	31.26
2019-2020	50.00	60.00	54.48
2020-2021	60.00	60.00	56.74
2021-2022	47.00	47.00	76.68
2022-2023	47.00	47.00	10.61

Chapter-5
Special Initiative: Jiyo Parsi Scheme

5.1 Jiyo Parsi scheme was launched in FY 2013-14 as a unique Central Sector Scheme with an objective to reverse the declining trend of Parsi population by adopting scientific protocol and structured interventions to stabilize their population in India.

5.2 The scheme has three components, Medical Assistance, Advocacy and Health of Community:

a. Under the Medical component of the scheme, financial assistance is provided to Parsi married couples for medical treatment under standard medical protocols;

b. The "Health for Community" component focuses on providing financial assistance and support for childcare and elderly people; and

c. Advocacy/outreach programmes to generate awareness among the Parsi population for lineage enhancement.

5.3 Since inception, the scheme has enabled birth of more than 400 Parsi children as of 31.03.2024.

Chapter-6
Haj Management

6.1 Haj is an annual religious pilgrimage of Muslims to Saudi Arabia in a specified period of the year. It is one of the most complex and largest logistical operations undertaken by Government of India outside Indian borders. Active coordinated efforts of all the Central Ministries/ Departments, Consulate General of India, Jeddah and the Haj Committee of India are involved in making this pilgrimage successful and comfortable for Indian pilgrims.

6.2 The work related to the management of Haj pilgrimage including administration of the Haj Committee Act, 2002 and Rules made thereunder were transferred from the Ministry of External Affairs to the Ministry of Minority Affairs with effect from 01.10.2016. Accordingly, a separate Division in the Ministry, headed by Joint Secretary (Haj) along with other posts, was set up to look after the work of the Haj management.

6.3 This Ministry manages the Haj work in coordination with Ministry of External Affairs, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Health & Family Welfare (MoH&FW), Haj Committee of India (HCoI) and Consulate General of India (CGI), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. The Ministry also looks after all the matters related to Haj Committee of India, a statutory body established under the Haj Committee Act, 2002; according necessary approvals to the Haj related proposals of Consulate General of India (CGI), Jeddah, selection of administrative and medical/ paramedical officials on short term deputation to CGI, Jeddah, registration of Haj Group Organisers (HGOs), and allocation of Haj Quota to HGOs.

6.4 The Haj pilgrimage is governed and regulated by the bilateral agreement between India and Kingdom of Saudi Arabia and its provisions. Every year, Haj is performed during 8th-13th Zil' Hijjah (core Haj period - 6 days) as per the Hijri calendar.

6.5 During the core Haj period, the pilgrims visit various places viz. Mina, Arafat and Muzdalifah in Makkah, Saudi Arabia to perform Haj rituals. Indian Haj pilgrims stay for 8 days in Madinah and about 25 to 30 days in Makkah, besides the core Haj period. Thus, the entire travel period for Indian pilgrims lasts about 40-45 days.

6.6 For Haj 2024, the Kingdom of Saudi Arabia allocated a quota of 1,75,025 pilgrims to India. This was distributed between HCoI and HGO in the ratio of 80:20, i.e., 1,40,020 pilgrims for HCoI and 35,005 pilgrims for HGOs as per the annual bilateral agreement signed between Government of India and Saudi Arabia.

6.7 New Initiatives Taken During Last Three Years

a. Till Haj-2022, there were 500 seats under Government discretionary quota, which was utilised by the concerned offices, i.e. Hon'ble President, Hon'ble Vice President, Hon'ble Prime Minister, Ministry of Minority Affairs and Haj Committee of India. All the seats under the Government discretionary quota have now been completely done away with so as to expand opportunities for the common pilgrims.

b. Special arrangements were made for lady pilgrims, Divyangjan and elderly pilgrims including infants. Sanitary requirement for women and baby food have been made through MoH&FW.

c. Before 2023, single ladies were not allowed to apply under Lady Without Mehram (LWM) category, unless one gathered a group of four ladies. Now single ladies, whether in a group or single can apply for Haj under LWM category. During Haj-2024, an all-time high number of more than 4500 ladies under LWM category have performed Haj. The allocation of Haj seats to all ladies who have applied under this category has been made on preferential basis.

d. The Ministry in coordination with Ministry of Health & Family Welfare and Indian Mission in Kingdom of Saudi Arabia provided necessary medicines and equipment at a cost of about Rs.6 crore to meet the medical needs of Indian pilgrims.

e. Since Haj-2023, the application fee is being charged only from those pilgrims who applied and received a confirmed seat, which has directly benefited many individuals who applied for Haj but could not secure a confirmed seat.

f. After Haj-2023, for the first time, the Ministry introduced a feedback mechanism on its portal to directly capture feedback from the pilgrims, providing valuable feedback and inputs for enabling the betterment of facilities and services in the subsequent years.

g. Administrative deputationists selected from among CAPFs/police forces (thereby ensuring better professionalism and assistance to pilgrims in Saudi Arabia).

h. Foreign exchange made available to pilgrims through SBI at competitive rates as per the pilgrim's actual needs instead of mandating the purchase of foreign exchange of a fixed amount for each pilgrim as done earlier.

I. The Ministry rationalised the Haj package cost through Haj Committee of India (HCoI) by removing non-essential components. The pilgrims were allowed to take daily use items as per the need and capacity instead of paying a substantial amount to Haj Committee of India for arranging the same.

j. Haj Suvidha App developed and launched during Haj 2024 to provide greater ease and convenience to Indian Haj pilgrims and the administrative machinery.

6.8 Decisions implemented from Haj 2024

a. Haj Suvidha App developed and launched during Haj 2024 to provide greater ease and convenience to Indian Haj pilgrims in the form of grievance redressal and other essential information related to the pilgrimage as well as for providing an administrative interface for Government officials deployed in Saudi Arabia for managing and administering India's Haj operations.

b. Administrative deputationists temporarily deployed in Saudi Arabia for administering and managing the Haj operations were selected from among All India Services/Central Civil Services, CAPFs and police forces thereby ensuring better professionalism and assistance to pilgrims in Saudi Arabia.

6.9 Facts and Figures: Haj 2024

Number of Pilgrims from India	Total No. of HCoI Pilgrims	1,40,020
	Total No. of HGO Pilgrims	35,005
	No. of HGOs registered	564
Staff on Deputation to CGI, Jeddah for Haj management	Coordinators	8
	Assistant Haj Officers	53
	Haj Assistants	203
	Doctors	166+2 (Medical Coordinator)
	Paramedics	188
	Total	620
Flight Operation from India	Arrival Phase	09.05.2024 to 09.06.2024
	Departure Phase	22.06.2024 to 21.07.2024
Embarkation points in India	Direct – 19	Total – 19
Number of Buildings hired in Makkah/Madina, Saudi Arabia	Buildings in Markazia, Madinah	More than 95%
	Buildings in Makkah	486

Temporary Branches and Dispensaries set up in Saudi Arabia for Indian pilgrims	Makkah	Madinah
	Branches – 17	Branches – 3
	Dispensaries – 17	Dispensaries – 4
	4 Hospitals – 40 bedded, 40 bedded, 10 bedded & a 30 bedded female hospital in Aziziya, Makkah	1 Hospital – 20 bedded hospital outside Markazia area in Madinah
OPD & Mobile Medical Team visit cases handled by Indian Medical Mission, Consulate General of India, Jeddah	More than 2 lakh	

Chapter-7
National Commission for Minorities (NCM)

7.1 In January 1978, the Government of India (GoI), vide an executive order, set up a 'Minorities Commission' to safeguard the interests of minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities (NCM) Act, 1992, the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the 'National Commission for Minorities' (NCM). The first statutory commission was constituted on 17.05.1993. The GoI vide Notification dated 23.10.1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) as minority communities under Section 2(c) of the NCM Act, 1992. Jains were notified as minority community under Section 2(c) of the NCM Act, 1992, vide GoI notification dated 27.01.2014.

7.2 In terms of Section 3(2) of NCM Act, 1992, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability, and integrity. Five members including the Chairperson are from the minority communities. In accordance with Section 4(1) of the NCM Act, 1992, each member including the Chairperson shall hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

7.3 The main functions of the Commission are to evaluate progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Central Government/State Governments, for the protection of the interests of minorities and look into specific complaints regarding deprivation of the rights of minorities. It also commissions studies and research on issues relating to socio economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

7.4 The NCM, in accordance with Section 12 of the NCM Act, 1992, prepares and submits its Annual Report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the Annual Report of the Commission, together with a Memorandum of Action Taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendation, is laid before each House of the Parliament. Recommendations pertaining to various State Governments/UT Administrations are forwarded to them by NCM for necessary action in accordance with Section 9(3) of the NCM Act, 1992.

The Annual Reports of National Commission for Minorities are under submission for laying in the Parliament.

Chapter-8
Commissioner for Linguistic Minorities

8.1 The Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) was established in July 1957, in pursuance of the provision under Article 350-B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (7th Amendment) Act, 1956 consequent to the recommendation of the States Reorganization Commission (SRC). Article 350-B envisages investigation by CLM of all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and reporting to the President upon these matters at such intervals as the President may direct and the President causes all such reports to be laid before each House of the Parliament and sent to the Government/ Administrations of States/UTs concerned. The CLM Organization has its headquarters at Delhi with Zonal Offices. The CLM interacts with States/UTs on all the matters pertaining to the issues concerning implementation of the Constitutional and nationally agreed safeguards provided to linguistic minorities. 52 reports of Commissioner for Linguistic Minorities have so far been laid in Parliament.

8.2 Constitutional Safeguards for Linguistic Minorities

Under the Constitution of India, certain safeguards have been granted to the religious and linguistic minorities. Articles 29 and 30 of the Constitution have provisions to protect the interests of minorities and recognize their right to conserve their distinct languages, scripts or culture and to establish and administer educational institutions of their choice. Article 347 makes provision for Presidential direction for recognition of any language spoken by a substantial proportion of the population of a State or any part thereof for such purpose as the President may specify. Article 350 gives the right to submit representation for redress of grievances to any authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union/States. Article 350A provides for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. Article 350B provides for a Special Officer designated as Commissioner for Linguistic Minorities to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution.

8.3 Functions and Activities of the CLM

The CLM Organisation takes up all matters relating to safeguards for linguistic minorities concerning minority individuals, groups, associations and organisations. The CLM personally visits linguistic minority areas and educational institutions for an on-the-spot assessment of the status of implementation of the scheme of safeguards. In this regard, the Commissioner holds discussions, when required, with the Chief Ministers, Governors and Lt. Governors of the States, Union Territories. The CLM also holds discussions at the highest levels of administration viz. Chief Secretary, Principal Secretary (Education) and Principal Secretaries of the Departments entrusted with the monitoring of the implementation of the scheme of safeguards for linguistic minorities.

Chapter-9
National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)

9.1 The National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30.09.1994 as a 'Not for Profit' company under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now Section 8 of Companies Act, 2013). NMDFC provides concessional credit for self-employment and income generating activities for the socio-economic development of the 'backward sections' amongst the notified Minorities.

The concessional credit schemes of NMDFC viz., Term Loan, Education Loan, Micro Finance & Virasat are implemented through the State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments/ UT Administrations. With a view to expand coverage of its schemes, NMDFC has signed an MoU with Canara Bank in FY 2021-22 for implementing NMDFC schemes.

9.2 Central Government had increased the Authorized Share Capital of NMDFC from Rs. 1,500 crore to Rs. 3,000 crore in 2015. The share holding pattern of Central Government, State Governments/ UT Administrations and Institutions/ Individuals is 73:26:1 respectively. The Government of India has already contributed its entire share of Rs.2190.00 crore in equity to NMDFC till 31.03.2024, whereas States/ UTs have contributed Rs. 419.24 crore. Total paid-up capital as on 31.03.2024 is Rs. 2,609.25 crore.

9.3 Achievements

During FY 2023-24, NMDFC has extended credit amounting to Rs. 765.45 crore to over 1.84 lakh beneficiaries. Since its inception in 1994, NMDFC has disbursed loans amounting to Rs. 8771.88 crore (upto 31.03.2024) to over 23.85 lakh beneficiaries.

9.4 Schemes and Programmes of NMDFC

9.4.1 Credit Schemes of NMDFC:

9.4.1.1 Term Loan Scheme

This scheme is for individual beneficiaries and is implemented through SCAs and Canara Bank. Projects costing up to Rs. 20 lakh under Credit Line-1 & up to Rs. 30 lakh under Credit Line-2 are considered for financing. NMDFC provides loan to the extent of 90% of the project cost. The beneficiary has to contribute minimum 5% of the project cost. The remaining cost of the project is met by the SCA.

i. Credit Line-1: Annual family income for rural areas is upto Rs. 98,000/- and for urban areas is upto Rs. 1,20,000/-.

ii. Credit Line-2: Annual family income of upto Rs. 8 lakh wherein higher quantum of loan is available at slightly higher interest rates.

9.4.1.2 Education Loan Scheme

This scheme is implemented with the objective to facilitate job-oriented education for eligible persons belonging to minority communities. Under this scheme, maximum loan of up to Rs. 20 lakh is available for 'technical and professional courses' in India and maximum loan of Rs.30 lakh for courses abroad. The maximum course duration for which loan can be availed is 5 years.

9.4.1.3 Micro Financing Scheme

Under this scheme, micro-credit is provided to members of Self-Help Groups (SHGs), especially the minority women. This scheme strives to reach beneficiaries who are unable to take advantage of formal credit. It requires that the beneficiaries are organized into Self-Help Groups (SHGs) and get into habit of thrift and credit, however small. The scheme envisages micro-credit to the poorest among the poor through network of SHGs, in an informal manner, to ensure quick credit delivery at the doorstep of the beneficiaries.

9.4.1.4 Virasat Scheme

This scheme aims to meet credit requirements of the artisans, both in terms of working capital and fixed capital requirement of equipments, tools and machineries. Maximum loan of upto Rs. 10 lakh can be availed under this scheme.

9.4.2 Promotional Scheme of NMDFC

9.4.2.1 Marketing Assistance Scheme

The Marketing Assistance Scheme is implemented as part of the development mandate to help the artisans/ beneficiaries/ members of Self-Help Groups (SHGs) to exhibit their products, through participation in exhibitions organized by the respective SCAs. This scheme provides an opportunity to participants for sale of handloom and handicraft products, state specific traditional products, etc. directly to the buyers.

9.4.2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) Programme

NMDFC is implementing its CSR programme for welfare of communities in and around areas where notified Minority Communities clusters are located by extending support for Education, Healthcare and Nutrition, etc. CSR projects to the tune of Rs. 2.09 crore were sanctioned during the F.Y. 2023-24.

Dedication of Biochemistry Analyzer to Gurudwara Singh Sabha Saheb, Rajouri Garden, New Delhi

9.5 Grant-In-Aid to State Channelising Agencies of NMDFC

NMDFC implements its schemes primarily through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Government/ UT Administrations. The SCAs identify beneficiaries, channelize concessional credit and make recoveries from the beneficiaries.

Weak infrastructure of SCAs impedes in credit delivery and recoveries. Therefore, in order to strengthen the infrastructure of SCAs, the Ministry had launched GIA scheme in the year 2007-08. Under the scheme, 100% assistance is provided to the SCAs through NMDFC. The scheme provides for utilization of funds by the SCAs as per their needs within the set of activities prescribed in the scheme as follows:

a) Awareness Campaigns

b) Improvement in Delivery System

c) Loan Recovery

d) Payment of TA & DA for recovery purposes.

The detail of amount allocated and released by the Ministry for this scheme is as under:

(Rs. in crore)

Year	BE	RE	Amount Released
2014-15	2.00	2.00	2.00
2015-16	2.00	2.00	2.00
2016-17	2.00	2.00	1.27
2017-18	2.00	2.00	0.30
2018-19	2.00	2.00	2.00
2019-20	2.00	2.00	1.925
2020-21	2.00	0.965	0.965
2021-22	2.00	2.00	2.00
2022-23	2.00	2.00	2.00
2023-24	3.00	3.00	3.00

Chapter-10
Waqf Administration and Central Waqf Council

The Ministry of Minority Affairs is responsible for implementation of the Waqf Act, 1995 which came into force with effect from 01.01.1996. The Act was last amended in 2013. The Act now extends to whole of India including the newly formed UTs of Jammu & Kashmir and Ladakh. Thirty (30) States and UTs have 32 Waqf Boards (Bihar and Uttar Pradesh have two Waqf Boards – one each for Shia and Sunni) under this Act.

Two schemes of the Waqf Division: These schemes are run by Waqf Division, MoMA and implemented through Central Waqf Council (CWC) which is a statutory body under MoMA.

a) **Qaumi Waqf Board Taraqqiati Scheme (QWBTS):** The scheme intends to help streamline record keeping, introduce transparency, and to computerize the various functions and processes of the Waqf Boards. For this purpose, a web-based software application namely Waqf Management System of India (WAMSI) was developed by NIC for collating a centralized database covering the following four modules:

i. Registration of Waqfs

ii. Mutawalli returns assessments

iii. Leasing details of properties

iv. Litigation tracking

Key features of Qaumi Waqf Board Taraqqiati Scheme (QWBTS) are detailed below:

i. Financial assistance-Property/Auqaf based on categorization at the time of its registration is provided to State Waqf Board (SWB) for collection of coordinates of Waqf property for GIS mapping;

ii. Financial assistance for deployment of manpower in form of Assistant Programmer through outsourced agency is provided to facilitate SWBs to complete data entry in WAMSI modules;

iii. Financial assistance is provided to SWBs for deployment of Mutation Assistants to complete the process of mutation of un-mutated Waqf properties;

iv. Financial assistance is provided to those SWBs that have more than six thousand Waqf properties and for other Waqf Boards for stationery and ICT consumables to be used by Centralised Computing Facility (CCF);

v. One Zonal Waqf Officer and one Survey Assistant is to be provided for each zonal office. Manpower for one zonal office would be provided in the State Waqf Board,

where the number of Waqf properties is between 10,000 to 25,000 and for two zonal offices where it is more than 25,000. However, no manpower would be provided for zonal office where the number of Waqf properties is less than 10,000;

vi. Financial assistance is provided to SWBs @ Rs. 3.00 lakh for e-Office Solution Software for better administration of the Waqf Boards; and

vii. Financial assistance is provided to SWBs @ Rs.50,000/- for maintenance of Video Conference facility.

viii. Central Waqf Council (CWC) is the Implementing Agency of the scheme. GIA under the scheme is released to CWC which provides the same to State/ UT Waqf Boards (SWBs).

b) Shahari Waqf Sampatti Vikas Yojana (formerly known as Scheme for the Development of Urban Waqf Properties)

i. Auqaf are permanent dedications of movable or immovable properties for the purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable. Apart from their religious aspects, the Auqaf are also instruments for social welfare as the benefits accrue to the needy in social and educational fields. However, majority of the Auqaf in the country have a limited and almost static income. The result is that generally the Mutawallis (Managers of the Auqaf) find it difficult to adequately fulfill the intention of Waqf or the purposes for which these Auqaf are created. Most of the urban Waqf lands have potential for development but the Mutawallis and even the Waqf Boards are not in a position to muster enough resources or construction of modern functional buildings on these lands.

ii. With a view to improving the financial position of the Auqaf and the Waqf Boards and to enable them to enlarge the area of their welfare work, this scheme has been formulated with a view to protect vacant Waqf land from encroachers and to develop economically viable projects on these properties for generating more income and /or to widen welfare activities.

iii. Under the scheme, interest free loan to Waqf Boards (WBs)/ Waqf Institutions is granted to various Waqf Boards and Waqf Institutions for construction of economically viable buildings on the Waqf land, such as commercial complex, marriage halls, hospitals and cold storage.

iv. Special provision in the scheme: As a special case, Grant-in-aid is also provided to State Waqf Boards/ Waqf Institutions with the prior approval of the Ministry for social development projects on Waqf land. Central Waqf Council is the Implementing Agency of the scheme.

Framing of Rules/Regulations under the amended Waqf Act 1995

The framing of subordinate legislation under the Waqf (Amendment) Act 2013 by the State/UT Governments.

For expediting action on the above, MoMA has repeatedly been taking up the matter with the defaulting States/UT Governments at various levels for framing of Rules under section 109 of the Waqf Act 1995, as amended by Section 57 of the Waqf (Amendment) Act, 2013. The latest status, on framing of rules under Section 109 of the amended Waqf Act 1995, is as below:

i. 16 States/UTs viz; Andaman & Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Punjab, Puducherry, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand, Odisha, West Bengal, Maharashtra and Telangana have notified the Rules; and

ii. 13 States/UTs viz; Andhra Pradesh, Assam, Chandigarh, Delhi, Gujarat, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Uttar Pradesh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Jharkhand and Rajasthan have drafted the Rules but have not notified the Rules so far.

Central Waqf Council

a) Background and the statutory provision under Waqf Act

Central Waqf Council is the apex organization of Auqaf under the administrative control of the Ministry of Minority Affairs, which was established in 1964 under the provisions of the Waqf Act, 1954 as an Advisory Body to the Central Government. It advises on matters concerning the working of the Waqf Boards and the due administration of Auqaf in the country. However, the role of the Council was expanded after the enactment of Waqf (Amendment) Act, 2013 which has empowered it to advise the Central Government, State Governments and State Waqf Boards. In addition, the provision has also been incorporated under Section 9(4) of the Waqf Act, 1995 as amended which has also vested the Council with powers to issue directives to the Boards/State Governments to furnish information to the Council on the performance of the Boards, particularly on their financial performance, survey, revenue records, encroachment of Waqf properties and annual and audit report.

b) Present composition

The Central Waqf Council consists of Chairperson, who is the Union Minister In-charge of Waqf and such other members, not exceeding 20 in numbers from different categories as stipulated in the Act, may be appointed by the Government of India. During the period under report, Smt. Smriti Zubin Irani, Hon'ble Minister of Minority Affairs was the ex-officio Chairperson of the Central Waqf Council. The 12th Council was constituted on 4th February 2019 as per provision given in Sub-Section (1) and (2) of Section 9 of the Waqf Act, 1995 as amended.

c) Functions of Central Waqf Council

i. To issue directive to the State Waqf Boards on their financial performance, survey, maintenance of Waqf deeds, revenue record, encroachment of Waqf properties, annual report and audit report;

ii. To advise Central Government, State Governments, State Waqf Boards on matters concerning the working of the Boards and due administration of Auqaf;

iii. To monitor the implementation of the provisions of Waqf Act, 1995 as amended in States and UTs;

iv. To render legal advice on protection and retrieval of the Waqf properties and for removal of encroachment etc;

v. To implement the Shahari Waqf Sampatti Vikas Yojana and identification of potential Waqf land for development;

vi. To implement educational and women welfare scheme for skill development and empowerment of the poor, especially women;

vii. To implement Qaumi Waqf Board Taraqqiati Scheme;

viii. To seek information from the State Governments/Waqf Boards on the performance of the SWBs under Section 9(4) of the Waqf Act, 1995 as amended;

ix. To take up issues concerning Waqf with various departments of Central and State Governments such as Archaeological Survey of India (ASI), Railways, Revenue and Forest; and

x. To undertake awareness programmes to promote the interest of the Council and to sensitize the Waqf Institutions and Board about their roles and responsibilities.

The Central Waqf Council is also implementing an educational scheme that focuses on coaching programmes for providing coaching for various competitive examinations conducted by Central/ State Governments in consultation with reputed institutions for Muslim candidates.

Chapter-11
Dargah Khwaja Saheb, Ajmer

Management of Durgah Sharif, Durgah Khwaja Saheb, Ajmer

11.1 The mandate of the Dargah Committee is to provide service to the public through development of infrastructure as per the provisions of Dargah Khwaja Saheb Act, 1955 and its Bye Laws 1958. The Central Government constitutes the Dargah Committee under Sections 4 & 5 of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955. The Dargah Committee consists of minimum 5 and maximum 9 members, all of whom shall be Hanafi Muslim, appointed by Ministry of Minority Affairs for a period of five years. The Committee shall elect a President and a Vice President from amongst members.

11.2 As per Section 9 of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955, the Nazim & CEO is appointed by the Ministry of Minority Affairs.

11.3 The Dargah Committee renders following services for Zaireen /Public:

i. Daily presentation of flowers, sandal and candles on the Holy Shrine.

ii. Management of Annual Urs of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz (R.A.).

iii. Management of Muharram Sharif inside Dargah Sharif (Mini Urs) and opening of Chilla Hazrat Baba Farid (R.A.).

iv. Special Fateha Khwani at every Chathi Sharif.

v. Fateha of Khulfa-e-Rashedeen and Buzurgan-e-Deen.

vi. Daily Langar for poor and special Sehri / Iftar arrangement during holy month of Ramzan.

vii. Running of Darul Uloom “MoiniaUsmaniya” Dargah Sharif by providing the knowledge of Theology.

viii. Running of Khwaja Model School, (an English Medium School) recognized by CBSE up to class XII standard. It is imparting education along with basic knowledge of Theology and moral education to 1257 students of all communities.

ix. Management of Gharib Nawaz Computer Centre.

x. Stipend to widows and needy persons.

xi. Maintenance of three separate dispensaries viz. Unani, Homeopathic & Allopathic.

xii. Scholarships to needy and meritorious students undergoing medical, engineering and other technical courses.

xiii. Maintenance of Eidgah and financial assistance to various mosques.

xiv. Shroud & Burial of unclaimed dead bodies.

xv. Arrangement of filtered drinking water in Dargah Sharif Campus.

xvi. Water arrangement for wazoo.

xvii. Ensure uninterrupted electric supply.

xviii. Maintenance of Guest House consisting of about 179 rooms.

xix. Round the clock cleanliness in Dargah and Guest House.

xx. Providing Shamiyanas in Dargah premises to protect the 'Zaireen' from seasonal hazards. Similarly, shelter is also provided at the time of Urs and periodical religious congregations.

xxi. Payment of Huqooq (Honorarium) to hereditary staff.

xxii. Programs on National Integration.

xxiii. Protection & periodical maintenance and development of properties and endowment.

11.4 Significant events of Dargah Sharif

- Annual Urs Hazrat Khwaja Gharib Nawaz RA. : 1st to 9th Rajab (Hijri Calendar)
- Mini Urs (Urs Hazrat Baba Farid R.A.) : 1st to 10th Muharram (Hijri Calendar)
- Urs Khwaja Usman HarooniR.A. : 5th & 6th Shaban (Hijri Calendar)
- Chati Sharif (every month) 6th of every Hijri month
- Jannati Gate Opening (four times in a year according to Hijri Calendar)
- Annual Urs Hazrat Bakhtiyar Kaki RA. 13th & 14thRabi-ul-Awwal of Hijri Calendar
- Basant (as per Sufi tradition, Magh month of Hindi Calendar)

11.5 During the Annual Urs, the sacred Chadar is presented by the Hon'ble Prime Minister which is placed during the Urs of Khwaja Moinuddin Chishti at the esteemed Ajmer Sharif Dargah symbolizing unity, peace, and reverence for the Sufi traditions.

11.6 The 812th Annual Urs of Khwaja Moinuddin Chishti (Khwaja Gharib Nawaz), Dargah Sharif, Ajmer was held during 12th - 18th January, 2024. During the Annual Urs, the sacred Chadar was presented by the Hon'ble Prime Minister which was placed during the Urs at the esteemed Ajmer Sharif Dargah symbolizing unity, peace, and reverence for the Sufi traditions.

11.7 The following new initiatives have been implemented in Dargah Khwaja Saheb to ensure transparency, ease of access and enhancement of pilgrim experience:

i. In an effort towards digital and cashless transactions, all cash handling points in Dargah (Guest House, Rent Section, Donations Section) were issued Point of Sale Machines. Consequently, the number of cash transactions in the Dargah have reduced considerably.

ii. In order to avoid delays, corporate online banking has been implemented in the Dargah leading to timely settlement of commercial dues and salaries.

Chapter-12
Official Language

12.1 Activities related to progressive use of Official Language

Hindi is the official language of the Union of India and the Official Language policy of the Government aims at ensuring increase in the progressive use of Hindi in official work. Effective steps have been taken during the year to ensure compliance of the Official Language policy of the Government, implementation of the Annual Programme and compliance of various orders of the Government of India on the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language.

12.2 Compliance of the provisions of the Official Language Act, 1963

All documents such as notifications, resolutions, general orders, rules etc., under Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 and all the papers laid on the table of both the Houses of Parliament were issued bilingually, i.e. in Hindi and English. Rule 5 of the Official Language Rules, 1976 is being implemented in letter and spirit in the Ministry.

12.3 Monitoring and Inspection

To ensure compliance of the Official Language Policy of the Union, monitoring is being done through review of the quarterly progress reports received from various offices/PSUs/Boards under administrative control of the Ministry of Minority Affairs and they are being monitored by inspections from time to time. Suitable instructions are issued to eliminate the shortcomings noticed during these inspections and compliance thereof is being ensured. During the year, inspection of all the sections and subordinate offices of the Ministry was carried out.

12.4 Translation Work

To ensure progressive use of Official Language Hindi in the Ministry, the documents such as Cabinet Notes, notifications, general orders, tenders, budget related documents, Output-outcome, Demand for Grants, Annual Report, Parliamentary Questions, Parliamentary Assurances, papers related to Standing Committees and other Parliamentary Committees, documents received from office of the Minister of Minority Affairs and press releases are translated regularly by Official Language Section of the Ministry.

12.5 Hindi Pakhwada and Prize Distribution Ceremony

Hindi Pakhwada was celebrated in the Ministry during 14-30 September, 2023. To promote usage of Hindi in the official work and to motivate officers/employees,

competitions such as essay in Hindi, noting and drafting in Hindi, Hindi typing, self-written Hindi poem recitation, practical knowledge of Official Language, general awareness in Hindi competition as well as story writing based on picture and speech competitions were organized. On the occasion of Hindi Diwas, Hindi message from Honourable Home Minister to Government of India to promote maximum use of Hindi in Official Work was shown on display board of the Ministry. A glimpse of 'Hindi Diwas' organized in Pune on 14th September, 2023 was shown on Ministry's digital display board at lift lobby and information regarding the competition to be organized during Hindi Pakhwada and photos of the competition organized on the previous day and required information regarding the competition were shared through display board. A photograph of information shown on the digital display board:-

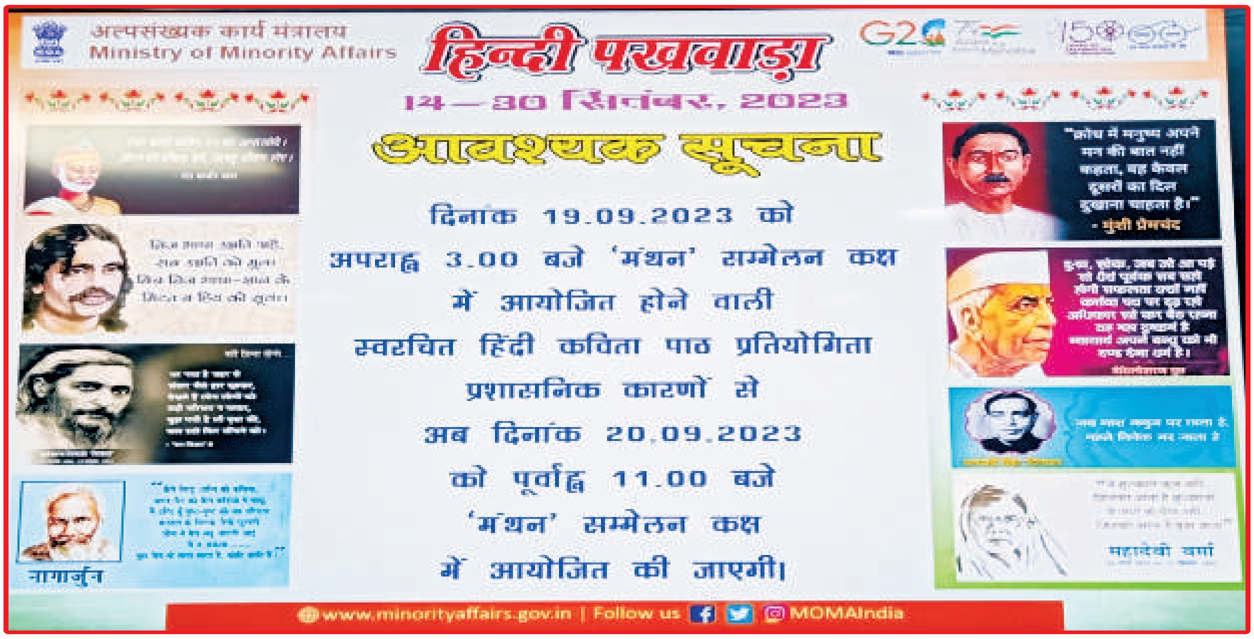

This year, during fortnight 'book exhibition' was also organized during the Hindi Pakhwada along with making 'Rangoli of flowers' in addition to organizing competitions.

Rangoli of flowers during Hindi Pakhwada 2023

Book exhibition organized during Hindi Pakhwada 2023

The participants, who were declared successful in various competitions organized in the Ministry during the Hindi Pakhwada, were awarded with a certificate and cash prize by Shri Khilli Ram Meena, Additional Secretary, MoMA during the Prize Distribution ceremony.

Additional Secretary's address on the occasion of award distribution ceremony of Hindi Pakhwada 2023

Additional Secretary giving cash prize and certificate to a prize winner of Hindi Pakhwada 2023

Additional Secretary giving away cash prize and certificate to a prize winner of Hindi Pakhwada 2023

"Chal Vaijayanti" shield was awarded to the section which has done maximum work in Hindi in the month of September 2023

With the aim of promoting Hindi in the Ministry, a competition was organized in March 2023 to reward sections and in August 2023 for attached offices which are doing maximum correspondence in Hindi. The winning sections/attached office were awarded wall clocks/shield by Additional Secretary (MA) during the function. Some glimpses of distribution of awards to officers/employees of winner sections/attached offices:-

12.6 Official Language Implementation Committee

Official Language Implementation Committee (OLIC) is constituted in the Ministry. Quarterly meetings of the Committee were organized regularly. The follow up action is taken for the compliance of decisions related to promotion of Hindi in official work.

12.7 Hindi Advisory Committee

Hindi Advisory Committee in the Ministry has been re-constituted. A meeting of the reconstituted Hindi Advisory Committee was organized on 29.08.2023 under the chairmanship of the Minister of Minority Affairs.

12.8 Hindi Workshop

Hindi workshops are organized regularly in the Ministry. In order to generate interest in Hindi among the officers/employees of the Ministry, the officers/employees present in each workshop are given opportunity for active discussions or seeking clarifications of doubt.

Officers /employees of the Ministry of Minority Affairs participating in the Hindi Workshop on the topic "Official Language Policy of the Government and Status of Hindi in Acts, Rules and Constitution"

Officers/employees of the Ministry of Minority Affairs participating in the Hindi workshop on the topic "Problems and Solutions of Official Translation"

Chapter-13
Swachhata Hi Sewa Campaign, Swachhata Special Campaign 3.0 and International Day of Yoga

In compliance of the direction of the Cabinet Secretariat, Ministry of Minority Affairs undertook Swachhata Hi Sewa (SHS) campaign from 15th September to 2nd October 2023 under which cleanliness drives were conducted at the office and adjacent areas. Apart from the SHS, Swachhata Special Campaign 3.0 was also observed during 2nd to 31st October 2023. Hon'ble Minister (MA) participated in the Special Campaign 3.0.

Swachhata Hi Sewa (SHS) was conducted at four locations including the premises at CGO Complex and at the O/o the Ministry of Minority at R. K. Puram. Officers and Officials/Staff of MoMA joined the campaign enthusiastically to make the premises clean.

During the campaign, store room at the Ground Floor of MoMA was cleaned and scrap were disposed of. The following activities were also undertaken by the Ministry:

i. Cleaning campaign for all the Wings was initiated for making the office premises clean. During the campaign, activities such as changing window blinds, painting of walls and washing of floors of the building were undertaken;

ii. All Divisions participated in weeding out of old physical files and documents thereby cleaning all the workstations;

iii. Shramdaan (voluntarily) was offered by officials of the Ministry for cleaning activities at R. K. Puram on 21st September 2023.

Major achievements during the Special Campaign are as under:

i. All the 527 Public Grievances and 126 PG Appeals pending as on 14.09.2023 were disposed of.

ii. Approx 34000 SQFT space was freed by disposing of scrap/waste material/garbage.

iii. The cleanliness campaign was conducted at 4 locations during Special Campaign 3.0. During the campaign, revenue of Rs. 74000/- was generated from scrap disposal. 100% (610 out of 610) identified files were weeded out during the campaign.

Some glimpses of the cleanliness drive undertaken during SHS and Swachhata Special Campaign 3.0 are given below:

9th International Day of Yoga (IDY) :

9th International Day of Yoga was celebrated on 21.06.2023 under which one hour Yoga session was organized by the Ministry in the adjacent park of the premise. Officers/Officials of MoMA participated in the yoga session and different Asanas of Yoga were performed as per the Yoga protocol.

Some pictures of 9th IDY are as under:

ANNEXURES

ANNEXURE I

Incumbency Statement of the Ministry of Minority Affairs as on 31.03.2024

S. No.	Post/Pay Band/Grade Pay/Group	Sanctioned Strength	Working Strength	Vacancy
1.	SECRETARY Gr. 'A' – Matrix Level 17	01	01	00
2.	ADDITIONAL SECRETARY/JOINT SECRETARY/ Gr. 'A' – Level 15/14	04	05*	-01
3.	DY. DIRECTOR GENERAL Gr. 'A'– Level 14	01	01	00
4.	DIRECTOR/ DEPUTY SECRETARY Gr. 'A'–Level 13/12	13	12	01
5.	JOINT DIRECTOR Gr. 'A' – Level 12	01	01	00
6.	UNDER SECRETARY Gr. 'A'- Level 11	13	12	01
7.	DEPUTY DIRECTOR Gr. 'A'- Level 11	01	01	00
8.	JOINT DIRECTOR (OL) Gr. 'A'- Level 12	01	00	00
9.	DY. DIRECTOR (OL) Gr. 'A' –Level 11	00	01#	-01
10.	ASSISTANT DIRECTOR/ Gr. 'A'- Level 10	01	01	00
11.	RESEARCH OFFICER/ Gr. 'A'- Level 10	01	00	01
12.	ASSISTANT DIRECTOR (OL) Gr. 'A'- Level 10	01	01	00
13.	SECTION OFFICER Gr. 'B'- Level 8	19	17	02
14.	PSO/Sr. PPS Gr. 'A'- Level 13/12	02	02	00
15.	PPS GP Gr. 'A'- Level 11	05	06	-01
16.	ASSISTANT SECTION OFFICER Gr. 'B' (NG) – Level 7	14	11	03
17.	Sr. RESEARCH INVESTIGATOR Gr. 'B' (NG)- Level 7	02	02	00
18.	PRIVATE SECRETARIES Gr. 'B' – Level 8	05	02	03
19.	STENO GRADE 'C'/PA/ Gr. 'B' (NG)- Level 7	07	01	06
20.	SENIOR HINDI TRANSLATOR Gr. 'B' (NG) - Level 7	01	01	00
21.	JUNIOR HINDI TRANSLATOR Gr B (NG) - Level 6	03	02	01
22.	STENO GRADE 'D' Gr. 'C' - Level 4	14	09	05
23.	STAFF CAR DRIVER Gr. 'C'- Level 2	02	02	00
24.	MTS/ G.P. Gr. 'D' - Level 1	14	07	07
25.	Sr. TRANSLATOR (URDU) Gr. 'B' (NG) - Level 7	01	00	01
	Total	**127**	**98**	**28**

* One post of Director has been upgraded to the post of Joint Secretary

Adjusted against the post of Joint Director(OL)

ANNEXURE II

Organization Chart of the Ministry (As on 16.10.2024)

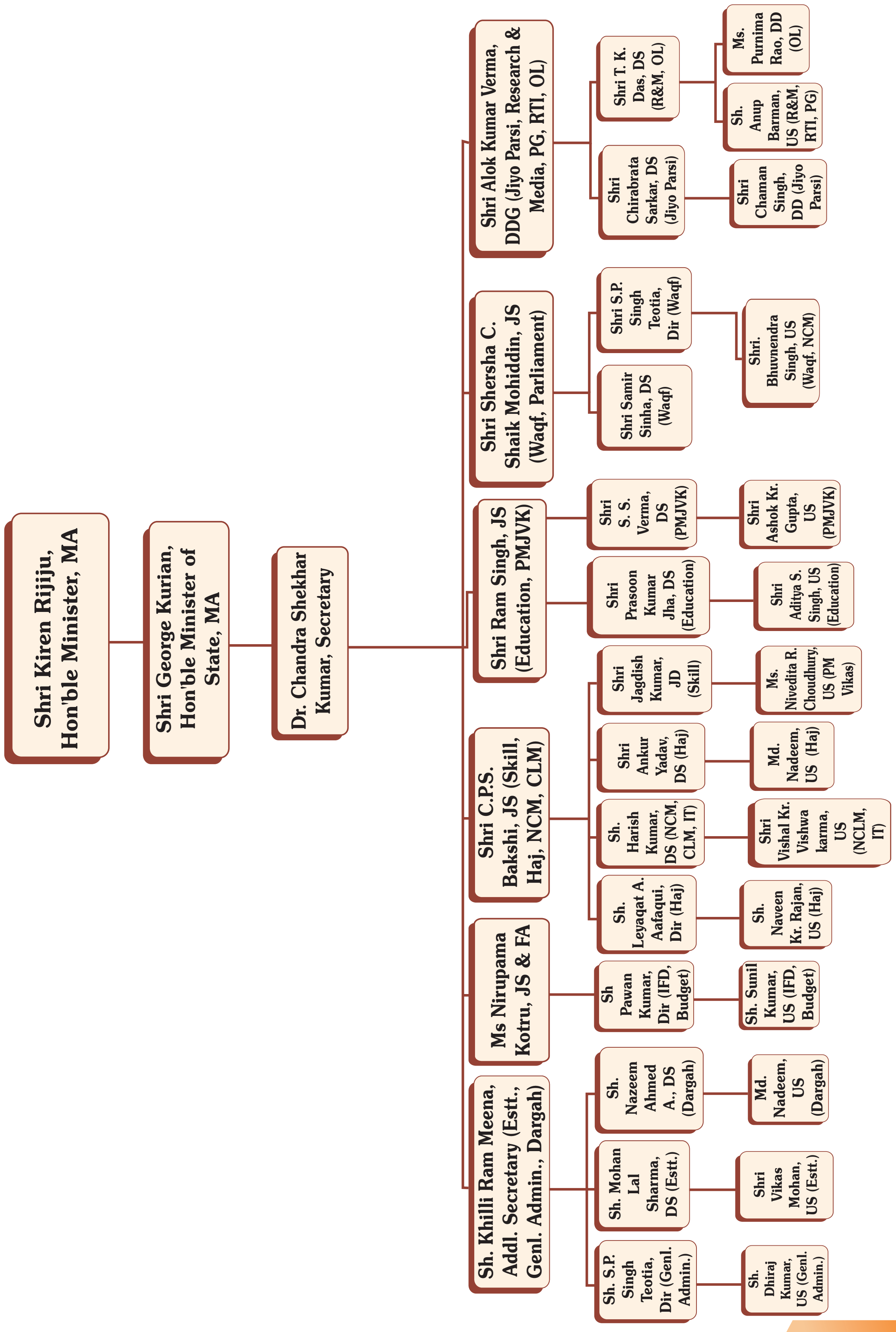

ANNEXURE III

Statement Showing Budget Estimates 2023-24 and Actual Expenditure (Up to 31.03.2024)

(Rs. in crore)

S. No.	Name of the Scheme/Project/Programme	Budget Estimates 2023-24	Revised Estimates 2023-24	Actual Expenditure upto 31.03.2024
1.	Pre-matric Scholarship	433.00	400.00	95.84
2.	Post-matric scholarship	1065.00	1000.00	85.02
3.	Merit-cum-Means Scholarship	44.00	25.00	152.74
4.	Maulana Azad National Fellowship for minority students	96.00	54.00	83.45
5.	Interest subsidy on educational loan for overseas studies for students belonging to minority communities (Padho Pardesh)	21.00	7.00	0.00
6.	Free Coaching & Allied Scheme for minorities	30.00	14.00	11.70
7.	Skill Development Initiative (Seekho Aur Kamao)	0.10	0.00	0.00
8.	Nai Manzil	0.10	0.00	0.00
9.	Upgrading Skill and Training in Traditional Arts / Crafts for Development (USTTAD)	0.10	0.00	0.00
10.	Contribution to equity of NMDFC	61.00	61.00	61.00
11.	Scheme for Leadership Development of Minority Women (Nai Roshni)	0.10	0.00	0.00
12.	Grants-in-aid to State Channelizing Agencies (SCAs) engaged for implementation in NMDFC programme	3.00	3.00	3.00
13.	Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (earlier MsDP)	600.00	550.00	189.23
14.	Haj Management	97.00	86.69	83.51
15.	National Commission for Minorities	15.00	13.50	12.18
16.	Educational Scheme for Madarsas and Minorities	10.00	5.00	0.01
17.	Special officer for Linguistic Minorities	4.00	2.88	1.59
18.	Qaumi Wakf Boards Taraqqiati Scheme	10.00	5.00	0.10
19.	Shahari Waqf Sampatti Vikas Yojana (earlier GIA to Waqf)	7.00	3.00	0.00

S. No.	Name of the Scheme/Project/Programme	Budget Estimates 2023-24	Revised Estimates 2023-24	Actual Expenditure upto 31.03.2024
20.	Research /studies, monitoring & evaluation of development schemes for Minorities including publicity	20.00	15.00	13.27
21.	Grants-in-aid to Maulana Azad Education Foundation	0.10	0.00	0.00
22	Hamari Dharohar	0.10	0.00	0.00
23.	Scheme for containing population decline of small minority community (Jiyo Parsi)	6.00	3.00	1.00
24.	Secretariat	35.00	35.00	29.59
25.	PM VIKAS	290.15	109.88	0.00
26.	PM VIKAS committed Liabilities	249.85	215.98	209.42
	Grand Total	**3097.60**	**2608.93**	**1032.65**

ANNEXURE IV

Scheme-wise Budget Allocation for North Eastern Region

(Rs. in crore)

S. No.	Name of the scheme	Budget Estimates 2023-24	Revised Estimates 2023-24
1.	Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram	60.06	55.01
2.	Pre-Matric Scholarship for Minorities	81.75	72.99
3.	Post-Matric Scholarship for Minorities	100.00	93.00
4.	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses for minorities	4.00	4.00
5.	National Fellowship for Students from Minority Communities	7.00	4.00
6.	Free Coaching & Allied Scheme for Minorities	1.00	0.50
7.	Education Scheme for Madarsas and Minorities	0.96	0.45
8.	Skill Development Initiatives	0.02	0.00
9.	USTTAD	0.04	0.00
10.	Nai Manzil	0.01	0.00
11.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	0.01	0.00
12.	PM VIKAS	30.00	11.49
13.	PM VIKAS committed Liabilities	24.85	20.00
	Total	**309.70**	**261.44**

ANNEXURE V

List of 41 Hunar Haats Conducted under USTTAD scheme

S.No	Location
1.	India International Trade, Delhi [November 2016]
2.	Baba Kharak Singh Marg, Delhi [February 2017]
3.	Puducherry [September 2017]
4.	India International Trade Fair, Delhi [November 2017]
5.	Islam Gymkhana, Mumbai, Maharashtra [January 2018]
6.	Baba Kharak Singh Marg, Delhi [February 2018]
7.	Prayagraj, Uttar Pradesh [September 2018]
8.	Puducherry [October 2018]
9.	India International Trade Fair, Delhi [November 2018]
10.	BKC, Mumbai, Maharashtra [December 2018]
11.	Baba Kharak Singh Marg, Delhi [January 2019]
12.	Jawahar Kala Kendra, Jaipur, Rajasthan [August-September 2019]
13.	Prayagraj, Uttar Pradesh [November 2019]
14.	India International Trade Fair, Delhi [November 2019]
15.	Ahmedabad, Gujarat [December 2019]
16.	Mumbai, Maharashtra [December 2019]
17.	Lucknow, Uttar Pradesh [January 2020]
18.	Hyderabad, Telangana [January 2020]
19.	Indore, Madhya Pradesh [February 2020]
20.	Ranchi, Jharkhand [February-March 2020]
21.	India Gate, Delhi [March 2020]
22.	Dilli Haat Pitampura, Delhi [November 2020]

S.No	Location
23.	Rampur, Uttar Pradesh [December 2020]
24.	Lucknow, Uttar Pradesh [January-February 2021]
25.	Mysuru, Karnataka [February 2021]
26.	JLN New Delhi, Delhi [February - March 2021]
27.	Bhopal, Madhya Pradesh [March 2021]
28.	Goa [March-April 2021]
29.	Rampur, Uttar Pradesh [October 2021]
30.	Dehradun, Uttarakhand [October -November 2021]
31.	Vrindavan, Uttar Pradesh [November 2021]
32.	Lucknow, Uttar Pradesh [November 2021]
33.	India International Trade Fair, Delhi [November 2021]
34.	Surat, Gujarat [December 2021]
35.	JLN Stadium, New Delhi, Delhi [December 2021 - January 2022]
36.	Puducherry [February 2022]
37.	Hyderabad, Telangana [February-March 2022]
38.	Guwahati, Assam [March 2022]
39.	Chandigarh, Punjab [March – April 2022]
40.	Mumbai, Maharashtra [April 2022]
41.	Agra, Uttar Pradesh [May 2022]

ANNEXURE VI

Details of Craft Clusters covered under the USTTAD scheme

S. No	State	Craft Cluster	Craft name
1	Andhra Pradesh	Udayagiri	Wooden Cutlery
2	Andhra Pradesh	Nimmalakunta	Leather Puppetry
3	Assam	Golaghat	Textiles of Golaghat
4	Bihar	Bhagalpur	Bhagalpur Weaving
5	Himachal Pradesh	Dharamshala	Tibetan Carpet
6	Jammu & Kashmir	Srinagar	Tilla Embroidery
7		Srinagar	Paper Mache
8	Karnataka	Bidar	Bidriware
9		Chanapatna	Chanapatna Toys
10		Mysore	Rosewood Inlay
11	Kerala	Beypore	Wooden Ship Making
12		Kodungalloor, Thalayolaparambu,Thazhava	Screwpine Weaving
13	MadhyaPradesh	Maheshwar	Maheshwari
14		Bhopal	Bhopali Batua
15	Maharashtra	Mumbai	Parsi Gara
16	Nagaland	Dimapur	Textiles of Nagaland
17		Viswema	Woodworks of Nagaland
18	Punjab	Patiala	Phulkari
19		Malerkotla	Tilla and Khosa Jutti
20		Jandiala Guru	Thathera/ Brass and Bronze
21	Rajasthan	Udaipur	Applique/Patchwork
22		Pipar	Block Printing
23		Bikaner	Usta Leather craft

S. No	State	Craft Cluster	Craft name
24	Tamil Nadu	Pulicat	Palm Leaf Basketry
25	Telangana	Hyderabad	Lac Bangles
26	Uttar Pradesh	Varanasi	Banaras Brocade
27		Lucknow	Bone Carving
28		Lucknow	Chikankari
29		Lucknow	Kamdani
30		Firozabad	Glass Flamework
31		Varanasi	Soft stone
32	West Bengal	Barasat and Birbhum	Kantha
33	Goa	Panaji	Crochet
34	Ladakh	Likir, Leh	Likir Pottery
35	Manipur	Nungbi	Black Pottery

ANNEXURE VII

Important Acronyms and their Full Forms

Acronym	Full Form
15 PP	15 Point Programme
CCF	Centralised Computing Facility
CGI	Consulate General of India
CGOs	Central Government Organisations
CLM	Commissioner for Linguistic Minorities
CSR	Corporate Social Responsibility
CVO	Chief Vigilance Officer
CWC	Central Waqf Council
DARPG	Department of Administrative Reforms & Public Grievances
DBT	Direct Benefit Transfer
DKS	Dargah Khwaja Saheb
HCoI	Haj Committee of India
HGOs	Haj Group Organisers
IBA	Indian Banks' Association
MAEF	Maulana Azad Education Foundation
MCDs	Minority Concentration Districts
MsDP	Multi-sectoral Development Programme
NCM	National Commission for Minorities
NET	National Eligibility Test
NGOs	Non-Governmental Organisations
NID	National Institute of Design
NIFT	National Institute of Fashion Technology
NMDFC	National Minorities Development & Finance Corporation

Acronym	Full Form
NSP	National Scholarship Portal
PM VIKAS	Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan
PMEES	Pradhan Mantri Educational Empowerment Scheme
PMJVK	Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram
QWBTS	Qaumi Waqf Board Taraqquati Scheme
SCAs	State Channelizing Agencies
SHGs	Self-Help Groups
SNA	Single Nodal Agency
SPEMM	Scheme for Education of Madarsas and Minorities
SPQEM	Scheme for Providing Quality Education in Madarsas
SRC	States Reorganization Commission
SWB	State Waqf Board
UGC	University Grants Commission
USTTAD	Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/ Crafts for Development
WAMSI	Waqf Management System of India

सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय / Ministry of Minority Affairs

11वां तल, पं0 दीनदयाल अंत्योदय भवन / 11th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan

सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

वेबसाइट / Website : https://minorityaffairs.gov.in